RNI No. : UPHIN-2009/29369

डाक पंजीकरण : MISC-II/CPM/04/KPHO/2017-19
प्रधान डाकघर कानपुर–डाक प्रेषण दिनांक 29/30

वार्षिक सदस्यता शुल्क 100/–

द्रविड़ भारत

www.dbindia.org.in

सामाजिक परिवर्तन का मासिक पत्र

अप्रैल 2019 | वर्ष – 11 | अंक : 3 | मूल्य : 5/–

सम्पादकीय

RNI No. : UPHIN-2009/29369

संपादक : उमेश्वरी देवी, मो.: 9005204074

संरक्षक मण्डल :

मा. रामदीन अहिरवार (महोबा), मा. राम अवतार चौधरी (इं. जल संस्थान), मा. छविलाल वर्मा (चरखारी), मा. हरिनाथ राम (दिल्ली), मनीष कुमार मो. 9415053621

कानूनी सलाहकार :

एड. रामप्रकाश अहिरवार, एड. यू.के. यादव, मोती लाल वर्मा, एड. विजय बहादुर सिंह राजपूत, एड. रमाकान्त धुरिया, एड. सुशील कुमार

राज्य उत्तर प्रदेश राज्य ब्यूरो प्रमुख :

सुनीता धीमान, 414/12, शास्त्री नगर, कानपुर (उ.प्र.), मो. : 9450871741

क्षेत्रीय सम्पादकीय कार्यालय :

40/69, डी–5, श्यामलाल का हाता, परेड, कानपुर (उ.प्र.), मो. : 8756157631

मध्य प्रदेश राज्य :

ब्यूरो चीफ मुकेश कुमार अहिरवार, छत्तरपुर, मो.: 09039546658

छत्तीसगढ़ राज्य :

दिलीप कुमार कोसले, मो. : 09424168170

दिल्ली प्रदेश :

C/o अनिल कुमार कनौजिया C-260, हर्ष विहार, हरिनगर एक्सटेंशन पार्ट–III, बदरपुर, नई दिल्ली–44, मो. : 09540552317

राजस्थान राज्य :

रघुनाथ बौद्ध, श्याम रघु फुट वियर, दुकान नं.–1, गणेश मार्केट, पुलिस चौकी के सामने, अलवर, जिला–अलवर–301001, मो. : 09887512360

चिरंजीलाल बैरवा (व्यावस्थापक) मेहरा आदर्श विद्या मन्दिर, भीम नगर कालोनी, राज भट्टा, दिल्ली रोड, अलवर, जिला–अलवर, मो.–09829855349

बाबूलाल बौद्ध, अलवर, मो.–08058198233

हरियाणा राज्य :

डा. रमेश रंगा, ग्राम–सराय, औरंगाबाद, पो.–बहादुरगढ़,जिला–झज्जर (हरियाणा),09416347052

संपादकीय/विज्ञापन प्रसार/पंजीकृत कार्यालय :

ग्रा व पो.–रिवई (सुनैचा), जिला–महोबा (उ.प्र.)

मो. : 9005204074, 8756157631

E-mail : dravinbharat1@gmail.com

प्रकाशक, मुद्रक एवं स्वामी

उमेश्वरी देवी द्वारा ग्रा. व पो.–रिवई (सुनैचा), जिला महोबा से प्रकाशित व श्रेय ऑफसेट प्रा. लि., 109/406, नेहरू नगर, कानपुर, 84/1, बी, फजलगंज, कानपुर

प्रकाशित पत्रिका में प्रकाशित लेख, सामग्री, में संपादक की सहमति अनिवार्य नहीं है। इसमें किसी भी प्रकार का दावा या विचार मान्य नहीं होगा। लेख के विवादित होने पर लेखक ही उत्तरदायी होगा समस्त विवादों का निपटारा महोबा न्यायालय में होगा पत्रिका का संपादन एवं संचालन पूर्णतयः अवैतनिक एवं अव्यवसायिक है।

मिशन को बढ़ाने के लिए सहयोग करें –
भारतीय स्टेट बैंक, शाखा–नवीन मार्केट, कानपुर
खाता सं.–33496621020 • IFSC CODE-SBIN0005307

धर्म का रथ

भगवान

(1) भगवान वह नहीं जो किसी एक व्यक्ति या व्यक्तिगत समाज के लिए भला कार्य करें। भगवान वह है जो अर्हत सर्व–सम्यक, ज्ञानवान, प्रज्ञावान, परोपकारी, तथागत हो।

(2) भगवान एक प्रकार का पद है। राजा भगवान का प्रतीक होता था जो सदा जनता के हित की बजाय अपना हित, ऐश्वर्य, सम्मान, ऐश, आराम, आमोद, प्रमोद तथा आराम चाहता था। राजा की आड़ में ब्राह्मण अपना हित सिद्ध करता था। ब्राह्मण के बिना राजा एक कदम भी नहीं चल सकता था। वह राजा को सदा ऐसा परामर्श देता था। जिसके अनुसार शूद्र को सदा गुलाम बनाकर ही रखा जाता था। वह सदा मनुवादी व्यवस्था कायम करके समाज में अपना सर्वोच्च स्थान पाता था। इसलिए उसने भगवान को माध्यम बनाकर राजा को भगवान का प्रतीक माना।

(3) राजा पहले राजा से पैदा होता था और आज भी। अंतर केवल इतना है कि पहले राजा रानी के पेट से पैदा होता था और आज स्टील की पेटी अथवा इलेक्ट्रोनिक वोटिंग मशीन से। आज से जनतंत्र राज्य में ऐसे राजा भी शूद्रों को गुलाम बनाकर ही रखना चाहते हैं। अन्यथा 45 वर्षों की आजादी के बाद शूद्र सामाजिक समानता प्राप्त नहीं कर पाते। आज का राजा जो 'जनता' है।

(4) प्रजातांत्रिक भारत में पूरे भारत की मान्यता डॉ. आंबेडकर को मिलनी चाहिए, क्योंकि आज तक किसी भगवान ने आम जनता के लिए वह कार्य नहीं किए, जो डॉ. आंबेडकर ने किए। वे कार्य निम्नवत हैं।

(5) डॉ. आंबेडकर ने दलित मुक्ति आंदोलन चलाकर आम जनता तथा दलितों में चेतना, संगठन तथा हकों के लिए लड़ने के आंदोलन की भावना जागृत की। ताकि वर्षों से दबे, कुचले लोग सामाजिक समानता के लिए अपने हकों के लिए मानवीय जीवन जीने के लिए सोच सकें।

(6) बाबा साहेब ने कानूनी तौर से दलित, शोषित और भारतीय नारी को समान अधिकार दिलाकर उनका उद्धार किया।

(7) बाबा साहेब ने ऐसा रास्ता देकर शोषित और शोषक, दमन सहने वाले तथा दमनकारियों के दिलों दिमाग को बदला ताकि उनके विचार, व्यवहार में परिवर्तन हो सके।

(8) बाबा साहेब ने दलितों को सामाजिक, राजनैतिक, धार्मिक व आर्थिक अधिकार दिलाने के लिए अंग्रेज सरकार के साथ जुझारु संघर्ष किया और उन्हें परतंत्रता के बोझ से मुक्ति दिलाई।

(9) भारत को ही नहीं संपूर्ण विश्व को दलितों की समस्याओं व उनके दुख दर्द की कहानी सुनाई, ताकि दलित मुक्ति हेतु विश्व और भारत के नेताओं को दलित हित सोचना ही पड़े।

(10) उन्होंने दलित मुक्ति को राष्ट्रीय समस्या करार दिया और दलित मुक्ति आंदोलन का सही महत्त्व उजागर कर दिया। दिल बहलाने वाली बातों के माध्यम से मानवता के प्रति आकृष्ट किया।

(11) बाबा साहेब ने दलितों की हजारों वर्षों से खोई हुई भावनाओं को जगाया, जिन्हें 15% लोग गुलाम, दास पददलित नीच कहते थे, साही ही राक्षस, निशाचर, असुर और शुद्र की भी संज्ञा देकर उनके साथ बुरा बर्ताव करते थे।

(12) बाबा साहेब ने दलितों में सामाजिक व धार्मिक विद्रोह की आग जलाई, जिससे उनके मस्तिष्क में आजादी के लिए खलबली मच गई।

(13) दलित लोग मनुवादी व्यवस्था के कारण आज भी अपने भाग्य और भगवान के भरोसे पर उन्नति का रास्ता छोड़कर हाथ पर हाथ धरे बैठे हुए है और 15% लोगों की दासता में सहर्ष लगे हैं। गरीब, शोषित, पीड़ित, लोगों के भगवान बाबा साहेब के मार्ग पर नहीं चल रहे हैं।

(14) मनुवादी व्यवस्था से ग्रसित होकर दलित नशीली वस्तुओं के सेवन, जन्म, बाल–विवाह, भात, त्यौहार, भूत–प्रेत, पुनर्जन्म, मृत्युभोज आदि के अपव्यय करने में लगे रहे। इन कुप्रथाओं को अपना कर गरीबी में पल रहे हैं। बाबा साहेब के मार्ग पर तो चलना दूर रहा वो उन्नति की ओर अग्रसर नहीं हो रहे हैं।

(15) मनुवादी व्यवस्था ने हिंदुओं में हजारों जातियां बनाईं, जिससे उनमें फूट उत्पन्न हो गई। अस्तु जबकि बाबा साहेब ने जातिवाद को देश के लिए कलंक माना।

(16) बाबा साहेब ने दलितों के उत्थान के लिए कहा है कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करो।

(17) बाबा साहेब जाति विहीन समाज की रचना करना अनिवार्य मानते थे। जब तक देश में जातियां बनी रहेंगी तब तक संगठन, एकता, उन्नति नहीं हो सकती।

(18) बाबा साहेब ने भारतीय संविधान में छुआछूत बेगार, बंधक मजदूरी, वेश्यावृत्ति और बाल शोषण जैसी बुराइयों को अपराध ठहराया।

(19) बाबा साहेब ने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यकों के लिए सवैधानिक रूप से राष्ट्रीय आयोग तथा चुनाव आयोग का प्रावधान किया।

(20) बाबा साहेब ने संविधान में हर पुरूष, स्त्री को समान अधिकार दिए। उन्होंने भेदभाव पूर्ण कानून, परंपराओं, रीतिरिवाजों प्रथाओं तथा पद्धतियों का विरोध किया।

(21) एक सभा में ग्रामीण लोगों को संबोधित करते हुए बाबा साहेब ने कहा था कि दीन दुखी लोगों की दुर्दशा देखकर मुझे बड़ी दया और गुस्सा आता है। यदि तुम्हें जीना है तो दीनता मिटाओ और जिंदा दिल होकर जिओ। देश के रहने वाले अन्य लोगों की तरह तुम्हें भी अच्छे कपड़े, भोजन और मकान चाहिएं। तुम्हें अपने अधिकारों का सदुपयोग करना है।

(22) दलित लोग हिंदू हैं पर उन्हें मंदिर–प्रवेश वर्जित है। ऐसा क्यों? हिंदू होने के नाते भगवान के दर्शन करने का हमें भी अधिकार है। मंदिर–प्रवेश के लिए हमें संघर्ष करना पड़ेगा। यदि हमारा संघर्ष सफल नहीं होता, तो हमें ऐसे भगवान से दूर रहना पड़ेगा। जो हमें नीचे बनाए रखना चाहते हैं। हमें अपने ऐसे भगवान की खोज करनी होगी जो हमें दासता, छुआछूत, गरीबी से मुक्ति दिला सके।

(23) लंदन में होने वाली प्रथम गोलमेज सभा में 12 नंवबर सन् 1930 में बाबा साहेब ने अंग्रेज सरकार से कहा था, ''मै। जिन अछूतों की हैसियत से यहां खड़ा हूं उनकी भारत में स्थिति पशुओं से भी बदतर है। उनकी संख्या भारत की कुल संख्या का पांचवें भाग से अधिक है। (द्विज या आर्य) उन्हें छूना तो दूर रहा उनकी परछाई से भी परहेज करते हैं। अछूत लोग कुंए से पानी नहीं भर सकते, मंदिर में नहीं जा सकते, धन–धरती पर उनका अधिकार नहीं, मेरी बुद्धि, शिक्षा, धार्मिक कार्य पर ताला लगा है। हमें राजनैतिक अधिकार (सत्ता) चाहिए। इस पर प्रभावित होकर अंग्रेज सरकार के दिल में एक आस्था उत्पन्न हो गई। जिसकी वजह से हमें भारत में कुछ ही मिल पाया।

(24) गोलमेज परिषद की रिपोर्ट के आधार पर हमें राजनैतिक अधिकार की स्वीकृति प्राप्त हुई। परंतु महात्मा गांधी ने रुष्ट होकर कहा कि यह तो एक प्रकार का आत्मघात होगा। मैं हिंदुओं से अलग अछूतों को प्रथक राजनैतिक अधिकारों के विरुद्ध हूं और अपने मरते दम तक यह नहीं होने दूंगा।

(25) लंदन में द्वितीय गोलमेज सभा 15 सितंबर 1931 में हुई उसमें बाबा साहेब ने कहा था कि भारत के हिंदू और मुसलमान प्रतिनिधि अपनी–अपनी समस्याएं पेश करें, पर मैं अछूतों की ओर से एक प्रतिनिधि के रूप में चाहता हूं कि मेरे भाइयों को जनसंख्या के आधार पर अलग प्रतिनिधित्व मिले।

(26) दिनांक 26 सिंतबर 1931 को बाबा साहेब ने कहा कि गांधीजी अपने को तथा भारतीय कांग्रेस को अछूतों का नेता होने का दावा करते हैं, जो बिलकुल गलत है। भारत देश में अछूतों की बदतर स्थिति है। जिनको उत्थान व सामाजिक तथा राजनैतिक दृष्टि से समानता की आवश्यकता है।

(27) इस प्रकार बाबा साहेब आंबेडकर दलितों के मसीहा और भगवान सिद्ध हुए, जिन्होंने दलितों के उत्थान हेतु जीवन भर संघर्ष किया। इतना आज तक कोई भगवान नहीं दे सका, जो उन्होंने स्वयं दिया।

(28) बाबा साहेब डॉ. आंबेडकर से पहले भगवान कहलाने वाले लोगों (शंकर, ब्रह्मा, विष्णु, राम, कृष्ण, नरसिंह, बाराह) ने सदा ब्राह्मणवादी पुराने धार्मिक कानून को ही जनता पर लदे रहने दिया। और उसका कड़ाई से पालन भी किया था। जबकि बाबा साहेब ने उस कानून को जिसके द्वारा बहुजन समाज के लोगों को कुत्ता, बिल्ली और टट्टी पेशाब जितनी इज्जत नहीं रखी थी, को तोड़ कर नई कानून–व्यवस्था बनाई, जिसमें सभी नर–नारी जो कि भारतवासी हैं, वो समानाधिकार के पात्र हैं।

(29) आज (75%) शूद्र कहलाने वाले लोग इस ब्राह्मणवादी धर्म को अंधविश्वास के कारण त्यागने लगे हैं। परंतु हमेशा नाम उसी अंधविश्वासी धर्म के भगवानों का लेकर अपनी मनोकामना पूर्ण करना चाह रहे हैं।

साभार : भारतीय अचम्भा (पृष्ठ सं० 46 से 48 तक) उमेश कुमार एडवोकेट

समझौता
साम्राज्यवादी प्रबंध रहित साम्राज्यवादी वित्त व्यवस्था

हालांकि संघीय व्यवस्था के हिमायती जीत हासिल नहीं कर सके लेकिन उन्होंने अपने विरोधियों को विद्यमान व्यवस्था के दोषों को दूर करने के लिए बाध्य कर दिया। अब मुख्य रूप से इस बात पर ध्यान दिया जाने लगा कि राजस्व संबंधी कानूनों को बदला जाए और राजस्व उगाहने वाले तंत्र को अधिक चुस्त दुरूसत बनाया जाए ताकि आमदनी में बढ़ोतरी हो और फिजूलखर्च में कटौती। ईस्ट इंडिश कंपनी के शासन के अंतिम दिनों में साम्राज्यवादी व्यवस्था को मजबूत और खुशहाल बनाने के उद्देश्य से उन करों को हटा लिया गया और देश को उन सभी नियंत्रणों से मुक्त कर दिया गया जो व्यापार और उद्योग के विकास में बाधा कर रहे थे। साथ ही औद्योगिक और व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिहाज से आयात शुल्क के रूप में उन्हें सुरक्षा दिए जाने की कोशिश की गई और व्यापार को अधिक सुविधाजनक बनाने के लिए ब्रिटिश तथा विदेशी जहाजों पर लगने वाले शुल्क को एक समान कर दिया गया। निर्यात करने वाली वस्तुओं पर से निर्यात शुल्क हटा लिया गया और कपास तथा चाय जैसी वस्तुओं की यूरोप व अन्य देशों के बाजारों में मांग को देखते हुए इन वस्तुओं के उत्पादन को बढ़ाने के प्रयास किए जाने लगे।

इसके पश्चात प्राशसनिक तंत्र में बदलाव लाया गया। इस दिशा में इंडियन काउंसिल्स एक्ट, 1961 का फायदा उठाया गया। इस कानून के तहत वायसराय को यह अधिकार दिए गए थे कि वह अपनी परिषद् के कामकाज को अधिक सुविधाजनक बनाने की दृष्टि से समय–समय पर नए नियम एवं आदेश निकाल सकता है, कानूनी तौर पर उस व्यवस्था को समाप्त कर सकता हैं जिसके तहत सरकारी कामकाज के निर्वहन में परिषद् के प्रत्येक सदस्य को प्रशासन के अलग–अलग विभाग का जिम्मा सौंप कर पूरी परिषद् सामूहिक रूप से भाग लेगी। इस प्रकार परिषद् को इस मंत्रिमंडल का स्वरूप दे दिया गया, जिसका मुखिया गवर्नर जनरल बनाया गया। इस परिवर्तन के माध्यम से ''चांसलर ऑफ एक्सचेकर'' (वित्त मंत्री) का पद बनाया गया जिस पर विख्यात वित्तशास्त्री जेम्स विल्सन की नियुक्ति की गई। श्री विल्सन ने सबसे पहले वित्तीय प्रशासन को सुधारने पर अपना ध्यान केन्द्रित किया। भारत में एक सार्वभौम खाता प्रणाली शुरू करने, नागरिक तथा सेना लेखा परीक्षा विभाग को केन्द्रीकृत करने, और विनियोग बजट की शुरूआत करने का श्रेय श्री विल्सन को ही जाता है। राजस्व कानूनों को बेहतर बनाया गया और कार्यकुशल प्रशासन के माध्यम से फिजूल खर्ची पर रोक लगाई गई। साथ ही खर्चो में कटौती की नीति को भी अपनाया गया। बजट और लेखा परीक्षा संबंधी नियमों को इस तरह का बनाया गया ताकि ''प्रत्येक स्थानीय सरकार के मुखिया या प्रशासन की प्रत्सेक शाखा को पहले से अधिक स्वविवेकात्मक शक्ति मिल गई....। खर्चों में कटौती इस हद तक लागू की गई कि 1854 में देश भर में शिक्षा का प्रसार करने संबंधी भारत सचिव के आदेश जारी हाने के तुरंत बाद ही शिक्षा पर होने वाले खर्च में बढ़ोतरी पर रोक लगा दी गई।

लेकिन वित्तीय बेहतरी के लिए किए गए इन तमाम उपायों के बावजूद भारत की वित्तीय स्थिति में सुधार नहीं आ पाया। वित्तीय स्थिति का निचोड़ पेश करते हुए श्री विल्सन महोदय ने 1860–61 के अपने वित्तीय वक्तव्य में कहा :–

''पिछले तीन वर्षों में हमारा घाटा 30,547,488 पौंड तक पहुंच चुका हैं, अगले वर्ष 6,500,000 पौंड घाटे की संभावना है, हम कर्ज में 38,410,755 पौंड की वृद्धि कर चुके है।''

इस वित्तीय घाटे को पूरा करने केलिए श्री विल्सन को स्टाम्प ड्यूटी बढ़ानी पड़ी, बाह्य सीमा कर को दुगना करना पड़ा और लोंगों की आय पर कर लगाना पड़ा। जो पहले कभी नहीं लगाया गया था। लेकिन इन तीन प्रकारके करों से उगाई गई राशि भी श्री विल्सन के उात्तराधिकारी श्री सैमुअल लैंग को संतुष्ट नहीं रख सकी। उन्होंने भी 1861–62 के अपने वित्तीय वक्तव्य में घाटे की पूर्ति करने तथा अतिरिक्त राशि से बाकी दिन चैन से काटने के लिए 500,000 पौंड मी मांग की। कुछ वर्षों तक देश के वित्तीय हालात ठीक रहे। लेकिन तत्पश्चात 1866 में श्री लैंग के स्थान पर आए श्री मैसी को ''साम्राज्य की वित्तीय स्थिति का जायजा लेने पर तथा साम्राज्य के वित्तीय स्रोतों पर बढ़ते दबाव के कारण राजस्व के वर्तमान स्तर में 10 लाख पौंड स्टर्लिग की धनराशि को जुटाने का स्थाई प्रावधान करना पड़ा।''

सभी वित्त मंत्रियों के प्रयास असफल रहने के क्या कारण थे? इन प्रयासों की असफलता का कारण देश की प्राशसनिक और बाहरी जरूरतों में हुई भयंकर वृद्धि में ढूंढा जा सकता है।

सैनिक विद्रोह के पश्चात ''हजारों की तादाद में न केवल अंग्रेज सिपाही बल्कि सभी तबकों के ब्रिटेन निवासी भारत आ धमके। लिहाजा हजारों ऐसी चीजों की मांग होने लगी जो भारत में नहीं थीं लेकिन जिन्हें उपलब्ध कराना जरूरी हो गया था। देश में रेल, तार, सड़कों और पुलों का जाल बिछाया जाना था। लोगों को भुखमरी से बचाने के लिए नहरों का निर्माण करना था, यूरोप की सेना के लिए बैरक बनवाने थे और सेना के फायदे के लिए हर प्रकार की जन सुविधा संबंधी सुविधाएं प्रदान करनी थीं। यह केवल साम्राज्यवादी सरोकारों के बारे में ही सत्य नहीं था। सुविधाओं की बेहतरी की मांग का दबाव केन्द्र सरकार के तहत आने वाले प्रत्येक कस्बों और जिलों में भी बढ़ रहा था। कार्यकुशल प्रशासन की मांग बढ़ रही थी। पूरे भारत में पुलिस प्रशासन बहुत दयनीय स्थिति में था। कचहरियों में महत्वपूर्ण पदों पर तैनात देशी न्यायाधीशों तथा न्यायालय के अन्य अधिकारियों को मिलने वाले कम वेतन संबंधी अपने वायसराय होने के दौरान लार्ड लारेंस की घोषणा जनता के साथ धोखा था। बंगाल प्रेसीडेंसी में 4000 से अधिक न्यायिक अधिकारियों में से मात्र कुछ अधिकारियों को ही सबसे अधिक 180 पौंड सालाना वेतन मिला करता था। अधिकांश अधिकारियों 12 से 24 पौंड सालाना वेतन मिलता था। यह राशि देश के अन्य हिस्सों में कार्यरत मजदूरों और बढ़इयों को मिलने वाले भुगतान से भी कम थी। इस असमानता को दूर करना जरूरी था।''

जबकि अधिक खर्च करने की जरूरत बढ़ती जा रही थी, खर्चे में कटौती करना मुश्किल होता जा रहा था। हालांकि शुरूआत में यह आसान लग रहा था लेकिन बाद में खर्च में कटौती के लिए उठाया जाने वाला प्रत्येक कदम अधिक कठिन साबित होने लगा। स्थिति में सुधार लाने की बढ़ती जरूरत और खर्चो मे कटौती करने की खत्म होती गुंजाइश ने सरकार को नए नए कर लगाने पर मजबूर कर दिया। एक विदेशी सरकार द्वारा करों को लगाए जाने का खतरा उन तीनों वित्त शास्त्रियों के दिमाग में था जो बारीबारी इंग्लैड से भारत की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए भेजे गए थे। वे जानते थे कि स्थानीय जनता करों की शर्त पर जीवन की सुविधाओं का भाग करने के लिए राजी नहीं थी। उन्होंने यह महसूस किया कि यदि स्थानीय जनसंख्या की तुलना में यूरोप निवासियों को फायदा किया कि यदि स्थानीय जनसंख्या की तुलना में यूरोप निवासियों को फायदा पहुंचाने के लिए की जा रही प्रशासनिक, आर्थिक व नैतिक मांगों पर रोक नहीं लगाई गई तो कितना भी कर क्यों नहीं लगा दिया जाए, वह आर्थिक स्थिति सुधारने में अक्षम ही रहेगा। साथ ही साम्राज्य की राजनीतिक स्थिरता के लिए भी खतरा पैदा हो सकता है। निरर्थक समानता और पांडित्य प्रदर्शक केन्द्रीकरण की वर्तमान व्यवस्था के तहत उनका उद्देश्य पूरा हो पाना मुश्किल था। क्योकि खर्चों मे कटौती के लिए केन्द्र सरकार स्थानीय सरकारों पर निर्भर थी और स्थानीय सरकारें वित्तीय सतर्कता तथा वित्तीय सुधार के मामलों में केन्द्र सरकार के प्रति न केवल ढीला रूख अपनाए थीं बल्कि अक्सर निष्क्रिय विरोध का प्रदर्शन भी करती थीं और आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए बनाए गए नियमों का पालन भी नहीं करती थीं। स्थानीय सरकारों को अपने खर्चे मे कटौती करने के लिए राजी करने का एक ही रास्ता था– उन्हें राज काज चलाने के लिए अधिक अधिकार और जिम्मेदारी सौंपी जाए। अपने प्रशासनिक अनुभव के दौरान वित्त शास्त्रियों को यह जानकारी मिनी थी कि जबकि राजस्व और खर्च संबंधी कुछ विभाग केन्द्र सरकार के हिस्से में आते थे, वहीं बहुत से विभाग ऐसे भी थे जो स्थानीय चरित्र के थे और स्थानीय सरकारों के जिम्मे आने चाहिए थे। वे पूरी तरह आश्वस्त थे कि खर्चों में कटौती तब तक नहीं हो सकती जब तक स्थानीय सरकार की जरूरतों को निश्चित स्रोंतों पर निर्भर नहीं कर दिया जाता, और ऐसा करने के लिए केन्द्र के पास कुल जमा राशि में से एक निश्चित राशि स्थानीय सरकारों के इस्तेमाल के लिए अलग करनी होगी। स्थानीय सरकारों को यह जिम्मेदारी लेनी होगी कि वे अपने खर्चो का भुगतान इस राशि में से ही करें और अपनी आय तथा खर्च में सामंजस्य बनाए रखें

इस तरह ये उसी निष्कर्ष पर पहुंचे जिस पर संघीय व्यवस्था के हिमायती पहले ही पहुंच चुके थे। लेकिन साम्राज्यवादियों को उनकी योजना स्वीकार कराने के लिए उन्होंने योजना के क्रियान्वयन को प्रभावित किए बिना कुछ छूट दे डाली। संघीय योजना के तहत भारत में सरकारी ढांचे में संवैधानिक परिवर्तन की आवश्यकता थी। इसका तात्पर्य था कि प्राप्त होने वाले राजस्व और प्रशासन की जिम्मेदारी का कानूनी रूप से केन्द्र सरकार और विभिन्न प्रांतीय सरकारों के बीच बंटवारा हो। साम्राज्यवादियों सहित सभी इस बात पर सहमत थे कि संघीय योजना वित्तीय जिम्मेदारी और बचत लागू करवाने का शक्तिशाली कदम है। उनका मुख्य विरोध यह था कि योजना कानूनी तथा स्थाई तौर पर केन्द्र सरकार को भारत की आय के स्रोतों से वंचित कर देगी। मंजे हुए राजनेता होने के नाते वित्त शास्त्रियों ने जल्दी ही संघीय योजना की इस कमी को दूर करने का रास्ता ढूंढ निकाला। ब्रिटिश संसद में कार्य करने के अनुभव का फयदा उठाते हुए उन्होंने यह जान लिया कि संविधान में परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं है। परंपराएं भी कानून के सामने प्रभावी हो सकती है और एक बार वे अपनी जड़े जमा ले तो उन्हें हिलाना मुश्किल होता है। अतः केन्द्र प्रांतीय सरकारों के बीच अधिकार क्षेत्र और राजस्व का बंटवारा एक ऐसी परंपरा का हिस्सा बनाए जाने की पेशकश की गई जो तब तक अक्षुण्ण बनी रह सकती है जब तक दोनों पक्षों को लाभ मिलता रहे। इस तरह भारत की आय के स्रोतों पर केन्द्र सरकार की पकड़ ढ़ीली किए बगैर संघीय योजना के फायदे उठाए जा सकते थे। यह एक तरह से संवैधानिक साम्राज्यवाद और संवैधानिक संघवाद के बीच समझौता था। इसका मतलब था साम्राज्यवादी प्रबंधन के बिना साम्राज्यवादी वित्त समझौतों के तहत राजस्व और अधिकार क्षेत्र का स्तर तो केन्द्री यही बना रहा लेकिन उनका प्रबंधन प्रांतीय कर दिया गया। फलस्वरूप प्रत्येक प्रांतीय सरकार को केन्द्रीय सरकार के उस क्षेत्र में प्रशासन करने का अधिकार मिल गया जसे उसके प्रांत में आता था और केन्द्रीय सरकार के राजस्व का वह अंश उसके हिस्से में आ गया जो उसके सीमा क्षेत्र में उगाहा जाता था। नई योजना का यह सार था। वह योजना संघीय योजना से इस अर्थ में अलग थी कि इसके तहत केन्द्रीय सरकार को भारतीय वित्त से संबंधित सभी मसलों पर सर्वोच्च नियंत्रण और परामर्श का अधिकार था जबकि वास्तव में भारतीय वित्त के एक हिस्से के प्रशासन संबंधी ब्यौरे को लेकर माथा पच्ची करने की उसे कोई आवश्यकता नहीं रहीं थी।

वित्तीय व्यवस्था के पुनर्निर्माण के लिए बुलाए गए तीनों वित्त मंत्री योजना के मुख्य मसौदे पर पूरी सहमत थे लेकिन योजना के क्रियान्वन की सीमा को लेकर उनमें मतभेद था। यह संदिग्ध है कि श्री विल्सन ने योजना का अपना कोई प्रारूप तैयार किया। लेकिन यह निश्चित है कि इस तरह का विचार उनके मन में आया था। उनके द्वारा 1860 में लगाया गया 32वां आयकर कानून ''दो हिस्सों में था –'' पहला अस्थिर कर था जो आय के 3 प्रतिशत पर लगाया जाता था। यह प्रतिशत साम्राज्य की जरूरत के हिसाब से घटाया अथवा बढ़ाया जा सकता था और जिसे वित्तीय स्थिति सुधरने पर पूरी तरह से समाप्त किया जा सकता था और जिसे वित्तीय स्थिति सुधरने पर पूरी तरह से समाप्त किया जा सकता था। दूसरी तरह का कर आय के 1 प्रतिशत पर लगाया जाने वाला '' स्थाई कर'' था। स्थाई कर लगाने का अधिकार स्थानीय प्रशासन को था और यह कर अदा करने वाले क्षेत्र के भीतर स्थित सड़क, नहरों आदि पर भी लगाया जा सकता था। (कानून की धारा 190–40) कर का यह हिस्सा कभी भी वापस नहीं लिया जा सकता था। न केवल निर्धारित मद के लिए बल्कि कर उगाहने वाले तंत्र को भी बनाए रखने के लिए इस कर का बनाए रखना जरूरी था। लेकिन विशेष परिस्थितियों में इसे वापस भी लिया जा सकता था। साथ ही जरूरत पड़ने पर बिना किसी विरोध या वाद विवाद के इसे फिर से लगाया जा सकता था।''

श्री विल्सन के उत्तराधिकारी श्री लैंग ने योजना को ज्यादा सही स्वरूप प्रदान किया। सन् 1861–62 का उनका बजट स्थानीय सरकारों द्वारा उपयोगी जन

सुविधाओं की मांग से पैदा हुए घाटे को भरने का प्रयास था और वित्तीय सुरक्षा की उनकी भावना ने उन्हें ''सड़कों, टेलीग्राफ (तारों), नहरों तथा इसी तरह के अन्य उपयोगी कार्ये को वहीं तक छोड़ देने के लिए मजबूर कर दिया जिस स्थिति में वे सैनिक विद्रोह के समय थे।''

लेकिन उपयोगी सार्वजनिक निर्माण को बढ़ावा देने के महत्व को वे अच्छी तरह समझते थे और उन्हें बढ़ाने की उनकी इच्छा भी थी। यह कारण है कि उन्होंने प्रांतीय सरकारों से केन्द्र सरकार द्वारा मिलने वाली कम राशि को अन्य उपायों से बढ़ाने की पेशकश की। उन्होंने प्रांतीय सरकारों से कहाः–

''हम जो राशि देने में सक्षम है उसे आप ले लो और बाकी राशि के लिए आप कर लगाने का अधिकार लो और खुद पैसा उगाओ .....क्योंकि कुछ विषय ऐसे हैं जो साम्राज्यवादी सरकार की अपेक्षा स्थानीय सरकारों द्वारा कर लगाकर बेहतर ढंग से निपटाए जा सकते है।''

स्थानीय बजट के माध्यम से श्री लैंग का उद्देश्य केवल ''अस्थाई परेशानी दूर करने का नहीं था बल्कि स्थाई सुधार लाने का था'' ताकि साम्राज्यवादी कोष को राहत मिले और प्रांतीय सरकारों को फायदा मिल सके। उनकी इस योजना को आम सहमति भी मिल चुकी थी। लेकिन जब इस योजना को अमली जामा पहनाने के लिए सामने रखा गया तो संसद द्वारा स्थानीय सरकार के पास वह तंत्र नहीं था जिसके माध्यम से इसे लागू किया जा सके। अतः योजना का क्रियान्वयन उस समय तक टाल दिया गया जब तक स्थानीय विधान परिषदों का गठन नहीं हो जाता। लेकिन चुंकि अगले कुछ वर्ष वित्तीय खुशहाली के रहे अतः योजना से लोगों का ध्यान हट गया और अंततः उसे अनिश्चित काल के लिए समाप्त कर दिया गया।

लेंकिन खुशहाली का यह दौर ज्यादा दिन टिका नहीं रहा और संकट की पुर्नवापसी की आशंका से श्री मैसी इस कदर ग्रसित रहे कि उन्हें योजना को कहीं बड़े आकार में पुनःजीवित करने पर मजबूर होना पड़ा। उन्होंने पेशकश की :–

''अतिरिक्त धन राशि (10 लाख पौंड स्टर्लिग) उगाहने के तरीकों पर विचार करते समय ..... सबसे सही तरीका यह होगा कि स्थानीय चरित्र के मामलों का साम्राज्यवादी खाते से स्थानीय खातों में आंशिक अंतरण कर दिया जाए।''

चूंकि भारत में स्थानीय कार्यो के लिए इस्तेमाल होने वाली सालाना निधि 20 लाख पौंड स्टर्लिग से अधिक नहीं हो पाती थी पेशकश की गई कि इस राशि में 1,200,000 पौंड और मिलाए जाएं। यह अतिरिक्त राशि विभिन्न स्थानीय सरकारों और प्रसीडेंसी द्वारामिल कर बढ़ानी थी और साम्राज्यवादी राजस्व के बदले इस राशि का इस्तेमाल स्थानीय सेवाओं के लिए होना था। 1,200,000 पौंड की राशि बर्मा को छोड़कर अनेक स्थानीय सरकारों के चालू वर्ष में सीमा कर और आय कर को छोडकर लगाए गए अनुमानित कुल राजस्व के 4 प्रतिशत के हिसाब से जुटाई गई। नई निधि की राशि जिन मद पर खर्च होनी थी वे थे :–(1) शिक्षा, (2) पुलिस, (3) जिला जेल, (4) सार्वजनिक निर्माण, (5) सड़कों की मरम्मत तथा उनका रख रखाव। अतिरिक्त राशि जुटाने के लिए लगाए जाने वाले करो की सूची इस प्रकार है :–

(1) व्यापर और व्यवसाय पर लाइसेंस कर (2) गृह कर, (3) शहरों में चुंगी (4) जिस भूमि से राजस्व प्राप्त नहीं होता है उन पर उत्तराधिकार कर। परिषद् में भारत सरकार की संस्तुति के अधीन स्थानीय सरकारों को अपने सीमा क्षेत्र में सबसे फायदेमंद कर को चुनने की छूट थी ताकि कर वसूलने के खर्चे को काटने के बाद उन्हें उपरोक्त सेवाओं में से किसी एक या सभी में अपनी इच्छानुसार राशि खर्च कर सकें।

इस योजना के संबंध में भेजे गए पत्रों के उत्तर में स्थानीय सरकारों और प्रशासनों ने ऐसे प्रभारी के अंतरण और स्थानीय करों के माध्यम से खर्चो की पूर्ति की व्यावहारिकता पर अपनी सहमति जताई हालांकि ऐसे प्रभावों के अंतरण के साथ–साथ उन पर होने वाले खर्चोंकी पूर्ति के लिए आवश्यक राजस्व को अंतरित न करने पर आम आपत्ति भी थी। ऐसी परिस्थिति में भारत सरकार 800,000 पौंड तक खर्चों मे कटौती कर उस राशि को स्थानीय सरकारों को अंतरित करने के लिए राजी हो गई। साथ ही लाइसेंस कर के रूप में जमा राशि को भी अंतरित करने को राजी हो गई। योजना को मिले समर्थन और सहानुभूति पूर्ण समीक्षा ने श्री मैसी को इसे बदलने और व्यापक बनाने के लिए प्रेरित किया। नई और व्यापक योजना की अपनी व्याख्या में श्री मैसी ने लिखा :–

''स्थानीय अधिकारियों को हस्तांतरित किए जाने वाले अधिकार क्षेत्रों की पहली श्रृंखला के लिए मेरा पहला उद्देश्य खर्च के उन मदों का ध्यान करना है जो भारत सरकार के नियंत्रण से बहुत कम प्रभावित होते है और जो मिल कर इतनी राशि जुटा सकें जिसका प्रबंधन करना आसान हो तथा साथ ही इतने जरूरी भी हों कि वास्तविकता का आभास देते हों और भविष्य में वित्तीय प्रशासन का संपूर्ण हस्तांतरण स्थानीय सरकारों को किए जाने की ओर उठाया गया कदम नजर आते हों। नागरिक आकलन करने पर.....मुझे सबसे आसान तरीका यही नजर आता है कि तमाम अनुदानों में से विशेष मद का चयन करने के बजाए कुछ अनुदानों का पूरा हिस्सा हस्तांतरित कर दिया जाए।..... इस योजना को स्वीकार करने से ..... खाता प्रणाली में बदलाव की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सिर्फ यही बदलाव करना पड़ेगा कि विभिन्न प्रयोजनों के लिए मिलने वाले अनुदान के कुछ हिस्सों का विशिष्ट तरीके से संबंध करना होगा, इस नियम का एकमात्र अपवाद..... मिश्रित शीर्ष का लेखा जोखा करना है .... जो कि विभिन्न कार्य क्षेत्रों का बेमेल योग है। इनमें स्थानीय प्रबंधन को हस्तांतरित करने के लिए वे सभी विषय रखे जाएंगे जिन्हें आसानी से स्थानीय कहा जा सकता है।..... और बचे हुए विषयों को जिनमें आसानी से प्रभारों के मुख्य शीर्षों के तहत वर्गीकृत किया जा सकता है। सबसे महत्वपूर्ण प्रभार जिसे मैं हस्तांतरित करना चाहता हूं वह है कानून और न्याय के तहत जेल। इसके बाद – '' कानून और न्याय के तहत ही पंजीकरण और तुलुबाना आते हैं। इनके खर्चे '' कानून और न्याय'' मद के अंतर्गत जमा की गई विशेष फीस से पूरे किए जाते है। इन खर्चों के खिलाफ प्रक्रिया के रूप में ''कानून और न्याय'' के अंतिर्गत राजस्व के अंतरण का प्रावधान है।.... ''शिक्षण'' के अंतर्गत मिश्रित खर्चों का अंतरण इस मद पर मिलने वाले राजस्व के हिसाब से होगा। इसके बाद चिकित्सा व्यवस्थापन और रासायनिक परीक्षकों (मेडिकल इस्टेब्लिशमेंट एंड केमिकल एक्जामिनर्स) को छोड़कर ''स्वास्थ्य सेवाओं'' के अन्तर्गत आने वाले बाकी सभी खर्चो की बारी आती है। ''स्टेशनरी तथा प्रिंटिग'' के खर्चो के तहत आने वाले सभी खर्चो को जो ''रेलवे पुलिस'' सहित स्थानीय स्रोतों से जमा होने वाली राशि से चलते है, अंतरित किए जाते है। इसके प्रतिदिन में ''पुलिस'' के अंतर्गत होने वाली ''आमनी'' का प्रावधान हैं इसके अतिरिक्त मेरे विचार से भविष्य में लगाए जाने वाले भूमि कर (लगान), आयकर और लाइसेंस कर जमा करने पर आए खर्चे के अंश को अंतरित करने का प्रावधान है यह जरूरी हो गया है कि अंतरित होने वाले सामान्य खर्चे के बदले एक राशि निश्चित की जाए और इसलिए कर एकत्रित करने पर आने वाले खर्चे का अंतरण उचित लगता है। भूमि राजस्व (लगान) एकत्रित करने में खर्च के मद में राजस्व सर्वेक्षण मे आई लागत को शामिल नहीं किया गया था। क्योंकि यह लागत बदलती रहती है। हां, ''ग्रामीण अधिकारियों को मिलने वाला भत्ता अवश्य इस मद में शामिल किया गया था। ''राजस्व का पहला और मुख्य अंतरण भूमि राजस्व (लगान) का एक हिस्सा होगा जिसका निर्धारण मैं रूपये के 1/16 वें हिस्से अथवा एक आना के बराबर करता हूं। यह दर राजस्व जमा करने पर आने वाले खर्चे के अंतरित होने वाले हिस्से पर भी लागू होगी। राजस्व का अगला मद भविष्य में लगाया जाने वाला आय कर है और लाइसेंस कर एक चौथाई हिस्सा होगा।

इसके बाद निम्नलिखित शीर्षो के तहत होने वाली पूरी आमदनी को अंतरित करने का प्रावधान है– (1) कानून और न्याय, (2) पुलिस, (3) शिक्षा, (4) मिश्रित (वित्तीय प्रकृति के विषयों को छोड़कर) और (5) सिंचाई से होने वाली आय को छोड़कर पुलिस कार्यो से होने वाली पूरी आमदनी। सार्वजनिक कार्यों के तहत आने वाले खर्चे के वे मद जिन्हें अंतरित किया जाना है निम्न हैं– (1) सड़कें, (2) नागरिक भवनों की मरम्मत, (3) नए और मरम्मत वाले विभिन्न कार्य और (4) संयंत्र एंव औजार।''

इस तरह व्यापक बनाई गई योजना पर विभिन्न दृष्टिकोणों से विचार विमर्श किया गया। हालांकि योजना को सतर्क आलोचको का समर्थन मिल चुका था लेकिन साम्राज्यवादियों को यह योजना जरूरत से अधिक व्यापक महसूस हुई, और चूंकि दो महान साम्राज्यवादियों, भारत के वायसराय लार्ड लारेंस और मद्रास के गवर्नर लार्ड नेपियर ने योजना का विरोध किया अतः इसे लागू नहीं किया जा सका। लेकिन साम्राज्यवादियों का दुर्भाग्य रहा कि वे पूरे एक दशक तक बीमार साम्राज्यवादी वित्तीय व्यवस्था को शल्य क्रिया द्वारा ठीक किए जाने का कड़ा विरोध करते रहे। लेकिन इस दौरान व्यवस्था के निरोग होने के कोई आसार नजर नहीं आए। इसके विपरीत, शल्यक्रिया के अभाव में व्यवस्था अधिक बीमार होने लगी। करों की बढ़ोतरी और खर्चो में कटौती के बावजूद इंग्लैड से भेजे गए भारतीय कोष के तीनों कुलपति (चांसलर) 1860–1870 के दशक के दौरान मात्र तीन वर्षो की बचत ही दिखा पाए। दूसरी ओर लगातार घाटे से पैदा हुई शर्मिदगी के साथ–साथ देश की सार्वजनिक वित्तीय प्रणाली में मितव्ययता और अनुशासन पैदा करने की गरज से लागू की गई बजट व्यवस्था न केवल कटौती के कारगर हथियार के रूप में असफल रही बल्कि अत्याधिक केन्द्रीकरण के दबाव के चलते अनुशासन पैदा करने के हथियार के रूप में भी बेकार साबित हुई फलस्वरूप वित्तीय व्यवस्था दिशाहीनता के पाश में फस चुकी थी।

बजटीय आकलन की शुद्धता के बारे में जारी किए गए विस्तृत सर्कुलर और आदेशों के बावजूद वित्त मंत्रियों को अजीबगरीब स्थिति का समाना करना पड़ता था। क्योंकि बजट की शुरूआत तो मोटी बचत के प्राक्कलन से होती थी लेकिन उनका अंत हमेशा वास्तविक घाटे से होता था। अनुमानित और वास्तविक घाटे का अंतर निम्न सारणी से स्पष्ट हो जाता हैः–

सरकारी वित्त में गड़बड़ी

वर्ष	अनुमानित घाटा बचत पौंड	वास्तविक घाटा बचत पौंड
1866–67	–66,700	–2,307,700
1867–68	1628,522	–923,720
1868–69	1,893,508	–2,542,861
1869–70	48,263	–1,650,000

अनुमानित

उपरोक्त सारणी से स्पष्ट है कि 1868–69 और 1869–70 के प्राक्कलन जो 1868–69 के प्राक्कलनों पर आधारित थे ये क्रमशः 1,893,508 पौंड और 48,263 पौंड की बचत का अनुमान था। लेकिन जब वर्ष 1868–69 के अंत में बचत की जगह वास्तव मे लम्बा घाटा हाथ लगा उसी समय भारत के वायसराय की गद्दी पर विराजमान हुए लार्ड मेयो को यह विश्वास हो गया कि यदि इन परिणामों के आधार पर उन्होंने बजट बनाया तो उसका अंत बचत की बजाएं वास्तविक घाटे में ही होगा। इस वित्तीय आश्चर्य ने मेयो के बजट को भ्रांति में डाल दिया और वित्तीय स्थिति सुधारने के लिए वित्त वर्ष के मध्य में ही उन्हें कर बढ़ाने और खर्चे मे कटौती करने का असामान्य तरीका अपनाना पड़ा।

उनके द्वारा उठाए गए कदमों का सारांश निम्न है :–

	पौंड
1. अतिरिक्त कराधान	
(1) आयकर 1 प्रतिशत से बढ़ाकर 2½ प्रतिशत कर दिया गया।	320,00
(2) नमक पर कर बढ़ा दिया गया (मद्रास और बंबई में)	180,000
योग	500,000
2. खर्चों में कटौती	
(1) शिक्षा	350,000
(2) सार्वजनिक निर्माण	800,000
योग	1,150,000
अनुमानित घाटा	1,650,000

संकट इतना विकट था कि इन सब उपायों के बावजूद अपने बजट में 1,650,000 पौंड का घाटा दिखाने के अतिरिक्त कोई रास्ता भी न था। घाटा इतना ही होता लेकिन सौभाग्य से एबीसीनिया के युद्ध में वस्तुओं की पूर्ति से हुए भावी मुनाफे और पुराने हिसाब के चुकता होने के कारण यह विशाल घाटे को थोड़े मुनाफे में बदल सके। अपने प्रयत्नों की सफलता पर प्रसन्न लार्ड मेयो अब आश्वस्त हो चुका था कि केन्द्रीय वित्त प्रणाली में कुछ न कुछ खोट अवश्य है। अतः इस प्रणाली को खत्म करने का इच्छुक न होते हुए भी उसने समझौते सुधारने का साहसिक कदम उठाया। इस योजना के विकास के बारे में हम भाग II में चर्चा करेंगे।

साभार

बाबासाहेब डॉ. अम्बेडकर, सम्पूर्ण वाङ्मय खण्ड–11, (पृष्ठ सं० 102 से 112 तक)

डॉ. बी. आर. अम्बेडकर

सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तन चक्र

(1) संविधान के अनुसार भारतीय समाज को समानता का बराबर अधिकार है, चित्र में देखिए संविधान सभी वर्गों की समता रेखा पर ही बना है। जब वास्तव में सभी वर्ग असमता रेखा पर है।

(2) सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तन पर होने पर ही, भारत में संविधान के अनुसार बताई गई स्थिति हो सकती है।

(3) सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तन के लिए, जातीय आधार पर मनु द्वारा बनाई गई जगहों को बदलना पड़ेगा, सभी जातियों को आज के संविधान के अनुसार असमता रेखा से हटा कर ससमता रेखा पर लाना पड़ेगा, जैसे कि चित्र में दिखाया गया है।

(4) सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तन के लिए पिछड़े वर्ग को अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति व नारी की अपेक्षा कम मेहनत व कम संघर्ष की जरूरत है। परिवर्तन पथ पर ध्यान दो।

(5) उक्त परिवर्तन के लिए नारी को सबसे ज्यादा संघर्ष करने की जरूरत है, जैसो कि चित्र में तीर के निशान से परिवर्तन पथ दिखाया गया है।

(6) अगर संविधान को सही तरीके और ईमानदारी से लागू करना पड़ा, तो इस परिवर्तन चक्र को घुमाना ही पड़ेगा। और अगर चक्र घूमता है तो 15% लोग अपने स्थान से नीचे की ओर तथा 85% लोग अपने स्थान से ऊपर की ओर को समता रेखा पर पहुंचेगे। चक्र को केवल 90 अंश तक ही घुमाना है।

(7) आज चूंकि 15% के लोगों का धन, धरती, बल व बुद्धि पर ज्यादातर कब्जा है, जिसके कारण 15% के हाथों में शासन की बागडोर है।

(8) यदि उक्त परिवर्तन होने को आया तो 15% लोग नहीं चाहेंगे कि सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तन हो जाए क्योंकि उक्त परिवर्तन से 15% लोगों को असमानता रेखा से हट कर नीचे समता रेखा पर आना पड़ेगा या फिर यों कहें कि 15% लोगों का नुकसान होगा। जिसको 15% लोग अपने मरते दम तक नहीं होने देंगे।

(9) चूंकि 75% लोग चाहते हैं कि उक्त परिवर्तन होकर ही रहे, परंतु उनके पास चर्तुरतन (धन, धरती, बल व बुद्धि) की कमी है। इसलिए परिवर्तन अभी नहीं हो पाएगा। इस प्रकार भारतीय संविधान का सही रूप से लागू होना अभी असंभव है।

(10) उक्त परिवर्तन के लिए यदि 85% लोग शिक्षित–संगठन से युक्त होकर एक राजनीतिक दल बना लेते हैं। वे एक ही झंडे के नीचे आ जाते तो 85% लोग अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए एक नया इतिहास रच सकते हैं। क्योंकि फिर 85% लोगों की सरकार होगी, तब संविधान सही रूप से लागू होगा और सभी समता रेखा पर आ जाएंगे।

(11) 85% लोगों की यह बड़ी भूल है कि वे यह अर्थ लगाते हैं कि 15% लोग ही शासन में रहकर 85% लोगों का भला कर देंगे। या 85% लोगों को समता रेखा पर लाकर खड़ा कर देंगे।

(12) 85% लोग यह अभी भी नहीं समझ पा रहे हैं कि यदि 15% लोगों ने 85% लोगों को ऊपर उठा कर अपने बराबर कर दिया तो 15% लोगों का नुकसान होगा, तो ऐसा कौन मूर्ख होगा जो अपना पतन कर दूसरे का उत्थान करेगा।

(13) चूंकि 15% लोगों का राजनीतिक व प्रशासनिक 70% से भी ज्यादा सीटों पर कब्जा है। उक्त परिवर्तन करके उनके पास केवल 15% सीटें ही रह जाएगी। तो क्या 15% लोग यह चाहेंगे क्योंकि इसमें उनको घाटा ही घाटा है।

(14) कानून को सही तरह से पारित करने वाली बात तो सबसे बड़ी बात है। 15% के लोग, तो जितनी कुछ कानून लागू हो गई है, उसको भी तोड़ देते हैं। जिसकी साक्षी 6 दिसंबर 1992 की बाबरी मस्जिद घटना है।

(15) सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तन न हो पाए इसलिए तो 15% के लोग अपने मत तो डाल ही लेते हैं, साथ ही साथ 85% लोगों के मतों को बरगलाकर, फुसलाकर, खरीदकर व जरूरत पड़ी तो झगड़ा करके व चोरी करके अपने हित में डालने की कोशिश करते हैं। जिस कारण शासन 15% लोगों के हाथ में आ जाता है और उक्त चक्र घूम नहीं पाता है।

(16) 85% लोगों को एक ऐसा राजनीतिक दल चाहिए, जिसका राष्ट्रीय अध्यक्ष 85% लोगों में से जो कि डरने वाला, बिकने वाला न होकर 85% लोगों को उसके हक दिलाने में अपने तन, मन, धन की बाजी लगा दें।

(17) चूंकि 85% लोगों में विवेक के न होने के कारण, अपने को कमजोर व दास समझने की आदत पड़ गई है। इसलिए वो अपने पढ़े–लिखे आदमी की बात को तो मानते ही नहीं बल्कि वो अपना मतदान भी अपने हित में न करके 15% के लोगों के हित में कर बैठते हैं। जिससे शासन 15% के हाथों में आकर 85% का नुकसान होना शुरू हो जाता है।

(18) 85% के कुछ लोग अपना मतदान ही नहीं करते, बल्कि राजनीति को गंदी चीज बतलाकर मतदान से दूर रहते हैं, जिसका परिणाम उनके हित में न होकर गैरों के हित में हो जाता है।

(19) 85% के लोगों में से पैदा हुए डॉ. बाबा साहेब आंबेडकर को संसार का सबसे बड़ा विद्वान माना जाता है, जिन्होंने कहा था कि राजनीति एक ऐसी चाबी है, जिससे हर ताला खोला जाता है। परंतु आज 85% के कुछ पढ़े–लिखे लोग राजनीति को एक गंदी चीज बताते हैं यानि कि वो अपने को बाबा साहेब से भी बुद्धिमान मानते हैं। और अपने समाज का नुकसान करते रहते हैं।

(20) अगर सामाजिक व आर्थिक परिवर्तन चक्र को घुमाया जाए तो 15% के लोग इसे नहीं घूमने देंगे तथा 85% के लोग उसको घुमाने की कोशिश करेंगे। तो आर्यों और अनार्यों में खींचातानी मच जाएगी तब अनार्यों का कहना ही पड़ेगा कि 85% लोगों में बगैर संगठन के वह चक्र नहीं घूमेगा, क्योंकि 15% लोगों में रोटी का व्यवहार तो है ही, बल्कि बेटी का व्यवहार है जबकि 85% में ऐसा नहीं है।

(21) मनुवादी व्यवस्था ने 85% को 6000 से भी ज्यादा जातियों में विभाजित करके 15% लोगों को शासन सत्ता में बने रहने का एक सुदृढ़ खंभा गाड़ दिया था।

(22) 15% लोगों का संगठन कम से कम 15% 15 किलोग्राम है और 85% लोगों का सबसे बड़ा संगठन 0.012% 12 ग्राम है, तो फिर उक्त चक्र को घुमाने के लिए 0.012%, लोगों के विपरीत ताकत लगावें तो कितना घूमेगा यह 85% लोगों को सोचना समझना पड़ेगा ही। यानी के 12 ग्राम की 15 किलोग्राम से लड़ाई में हार का होना निश्चित है।

(23) अगर उक्त चक्र नहीं घूमेगा तो इस देश में समता, स्वतंत्रता, बंधुता, एकता व अखंडता आगे अब ज्यादा दिन रहने की संभावना नहीं है।

(24) अगर इस देश की ऐसी हालत रही या इस देश में मनुवादी कानून, यानी जातिवाद और अंधविश्वास बना रहा या और ज्यादा बढ़ता गया, तो फिर से देश में गृहयुद्ध होने की संभावना हो सकती है क्योंकि तथाकथित शूद्रों में अब कुछ चेतना आ गई है, अब वो वे मनुवाद से हटते नजर आ रहे हैं।

(25) अगर इस देश में जातिवाद का नसा और बढ़ गया या समाप्त न किया गया तो भगवान बुद्ध की जीवन भर की मेहनत इस देश के लिए बेकार सिद्ध ही नहीं होगी, बल्कि बाबा साहेब डॉ. आंबेडकर का सपना भी अधूरा ही रहेगा। जिसका परिणाम आपसी फूट होगी और फूट के कारण परिवर्तन जरूर ही होगा और इस देश की हालत परिवर्तन के फलस्वरूप वैसी ही हो सकती है जैसे कि 1947 के पहले थी।

(26) जब 15% लोगों में से कुछ लोग भारत देश को हिंदू राष्ट्र घोषित करना चाहते हैं तब 85% लोगों को ध्यान से सोचने की जरूरत होगी कि हिंदू राष्ट्र होगा तो मनुवादी कानून इस देश में लागू होगा और आज की कानून को समाप्त कर दिया जाएगा और फिर 1950 के पहले वाला भारत फिर बन जाएगा।

(27) जब पाठक ही समझें कि अगर उक्त परिवर्तन चक्र को घुमाना है, तो अपने स्वयं के एक राजनीतिक दल व अपने एक झंडे के नीचे आना पड़ेगा, जिसके लिए 85% जनता को शिक्षित संगठित व संघर्षित करने के लिए उसे स्वयं के पथ में आने के लिए तन, मन व धन से लगना होगा। अन्यथा सामाजिक व आर्थिक परिवर्तन चक्र नहीं घूम सकता।

(28) 85% लोगों और नारियों को धार्मिक गुलामी की जंजीरों से मुक्त कराने के लिए या उक्त चक्र को घुमाने के लिए 85% नर–नारियों को खुफिया पुलिस के रूप में तथा हर व्यक्ति व नारी को सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में कार्य करना पड़ेगा और हर कार्यकर्ता को बगैर किसी लोभ के निडर होकर संघर्ष करने की जरूरत है।

(29) इस समय अपना देश सैकड़ों समस्याओं में फंस कर झुलस रहा है। जिससे देश की हालत बरबादी की कगार पर पहुंच रही है। इस देश की हालत सुधारने का काम केवल बहुजन समाज ही कर सकता है। और बहुजन समाज के लोगों को मैदान में आकर अपने देश की मदद करनी चाहिए। बहुजन समाज ही इस देश का आदिवासी है, वीर है और बलवान है, इसलिए यह देश उनका अपना देश है।

(30) बहुजन समाज उन सूरवीरों की संतान है। जो कि कभी भी लड़ाई में नहीं हारे हैं। बहुजन समाज को हराने के लिए धोखा, छल, कपट का साथ लेकर हराया गया था और फिर दास राक्षस, गुलाम व शूद्र कह कर पुकारा जाने लगा था और इन्हीं को पिछड़ा वर्ग कह कर या अनुसूचित जाति या जनजाति के नाम से पुकारा जाता है।

(31) बहुजन समाज के वीर राजपुत्रों को उनका समाज व भारतीय नारी अपने देश की रक्षा के लिए तथा भारत माता की इज्जत बचाने के लिए तथा इस देश का धन विदेशों में जमा करने वाले गद्दारों के हाथों में हथकड़ियां पहनाने के लिए आवाहन करती है। उन्हें यह शुभ कार्य जल्दी से जल्दी करना चाहिए।

(32) इस देश के बेवफा और गद्दार लोग बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय धन विदेशों से कर्ज के रूप लेकर उस धन को विदेशों में अपनी निजी हित में जमा कर रहे हैं। इस तरह समाचार आए दिन अखबारों में आते रहते हैं। कहीं बोफोर्स सौदा तो कहीं प्रतिभूमि घोटाला तो फिर कहीं कुछ और।

(33) 75% के लोगों को बड़े ध्यान से सोचना चाहिए कि क्या इस देश की दलित जनता व नारी पूर्णरूपेण स्वतंत्र है। 75% के पढ़े–लिखे व जिम्मेदार व्यक्ति इस बात को बहुत ज्यादा ध्यान से सोचें और समझें। इतना ही नहीं 75% के पढ़े–लिखे लोग जो कि आज शासन व प्रशासन में हैं धनवान, ज्ञानवान व बलवान हैं। उनके दिलों को टटोला जाए, ईमानदारी का वास्ता देकर पूछा जाए कि क्या वे स्वतंत्र हैं? क्या उनको उनकी सोसाइटी

के 15% लोग अपमानित कर घृणित जीवन जीने के लिए बाध्य नहीं करते? क्या 15% के लोग जिस तरह इज्जत का जीवन जीते हैं, ठीक वैसे ही 75% लोग अपना जीवन जी रहे हैं?

(34) ओ मेरे 85% के लोगों व पूज्य नारियों उक्त परिवर्तन चक्र के चित्र में देखिए कि समस्त रेखा की ओर आने की स्वतंत्रता के बाद से आज तक जितना परिवर्तन हुआ है। ठीक उतना ही 15% लोगों का नुकसान हुआ। जरा सोचिए सन् 1950 के पहले 85% और नारी की क्या हालत थी और आजकल क्या हालत है? अब बहुजन समाज (85% लोग) और नारी जितनी जल्दी उक्त उक्त चक्र को घुमाएंगे ठीक उतनी जल्दी 85% नर–नारियों का उत्थान होगा। इसके लिए बहुजन समाज के नर–नारियों को चाहिए कि वे ऐसे व्यक्ति जो कि बहुजन समाज में पैदा तो हो गए पर मनुवादी 15% लोगों के राजनीतिक व सामाजिक दलों में सहारा बने हुए हैं और बहुजन समाज को पतन की ओर ढकेल रहे हैं, तो धिक्कारना ही नहीं बल्कि अपमानित करना है।

(35) धिक्कार है 85% के उन लोगों को जो कि पढ़–लिख कर भी मनुवादी धार्मिक गुलामी की जंजीर व खुशी अपने गले पहने हैं और अपने को नीच व गुलाम मान रहे हैं।

(36) 85% के पढ़े–लिखे लोगों को शायद यह आज तक मालूम नहीं हुआ है कि उनके अपने वाली पीढ़ी

चित्र संख्या 9

सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तन चक्र

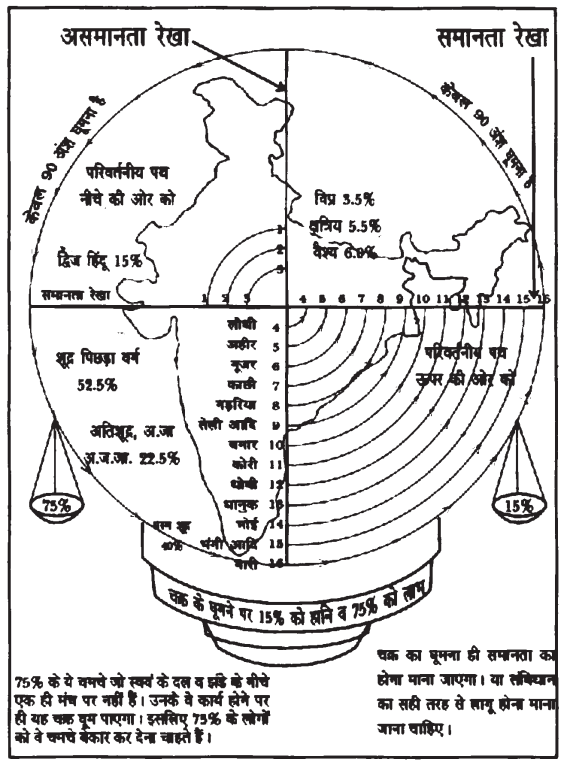

उनको बुरी तरह धिक्कारेगी ही नहीं, बल्कि भद्दी गालियां भी दे सकती है और वो तब करेगी, जब उस पीढ़ी को मालूम होगा कि हमारे पूर्वजों के पूर्वजों ने हजारों वर्षों की गुलामी की जंजीर को निकाल फेंका था, परंतु हमारे इन पुरखों ने जो कि आज मेरे सामने वृद्धावस्था में हैं। उन धार्मिक गुलामी की जंजीरों को अभी तक भी नहीं फेंक पाए हैं। जबकि इनके पूर्वजों ने उन गुलामी की जंजीरों को ही नहीं फेंका था, बल्कि अपनी औलाद को पढ़ा–लिखा कर उचित मार्ग दिया था।

(37) 85% के शिक्षित लोगों का और पदाधिकारियों का परम कर्त्तव्य है कि वे अपना उचित समय अपने समाज के उत्थान के लिए दें तथा तन, मन, धन से मदद करें। कम से कम वे स्वयं उस मनुवादी व्यवस्था से न जुड़ें, जो कि अंधविश्वास व असमानता को जन्म देती है। यदि उनके दिलों दिमाग से ये बातें निकल जाएं, तो समता रेखा पर पहुंचने में ज्यादा समय नहीं लगेगा क्योंकि शिक्षित वर्ण ही समाज की रीढ़ है।

(38) 85% के अधिकारी और कर्मचारियों के पास धन, समय या ज्ञान जो कुछ भी है वो अपने समाज को दो ताकि यह परिवर्तन चक्र घूम सके।

साभार :
भारतीय अचम्भा
(पृष्ठ सं० 61 से 65 तक)
उमेश कुमार एडवोकेट

डॉ० भीमराव अम्बेडकर की 128वीं जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं...
रामचरन
पम्प आपरेटर
कानपुर विकास प्राधिकरण

डॉ० भीमराव अम्बेडकर की 128वीं जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं...
आनन्द मोहन
संयुक्त आयुक्त
हथकरघा एवं वस्त्र उद्योग, कानपुर

डॉ० भीमराव अम्बेडकर की 128वीं जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं...
धीरेन्द्र कुमार
लिपिक
कानपुर विकास प्राधिकरण, कानपुर
मो० : 9721358899

डॉ० भीमराव अम्बेडकर की 128वीं जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं...
जे. पी. दिनकर
वरिष्ठ प्रबन्धक उत्पादन
उ.प्र. राज्य हथकरघा निगम कानपुर

डॉ० भीमराव अम्बेडकर की 128वीं जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं...
अजय कुमार
लिपिक
कानपुर विकास प्राधिकरण, कानपुर
मो० : 7905305856

डॉ० भीमराव अम्बेडकर की 128वीं जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं...
राज नारायण
वरिष्ठ लिपिक
आई.टी.आई., पाण्डु नगर, कानपुर
मो० : 9389328660

डॉ० भीमराव अम्बेडकर की 128वीं जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं...
श्रीराम कमल (समाजसेवी)
ग्राम–बगदौधी बॉगर, पो०–मन्धना,
कानपुर नगर, मो०: 9450342251

डॉ० भीमराव अम्बेडकर की 128वीं जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं...
रामस्वरूप
अध्यक्ष लेबर डिर्पाटमेन्ट मिनिस्टीरियल
एम्पलाइज एसोसिएशन
श्रमायुक्त कार्यालय कानपुर

डॉ० भीमराव अम्बेडकर की 128वीं जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं...
इं. डी. एस. गौतम
सहायक अभियंता, उ.म. क्षेत्रीय कार्यालय
भारतीय जीवन बीमा निगम, कानपुर

डॉ० भीमराव अम्बेडकर की 128वीं जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं...
कमलेश कुमार
वरिष्ठ प्रबन्धक
उ.प्र. राज्य हथकरघा निगम, कानपुर
मो.: 7905637059

डॉ० भीमराव अम्बेडकर की 128वीं जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं...
श्याम लाल
सेवाक्रमिक
कानपुर विकास प्राधिकरण

डॉ० भीमराव अम्बेडकर की 128वीं जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं...
अर्चना कैथवार
प्रधान सहायिका
श्रमायुक्त कार्यालय, कानपुर

डॉ० भीमराव अम्बेडकर की 128वीं जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं...
जगदीश प्रसाद
कनिष्ठ सहायक हथकरघा एवं वस्त्राद्योग
निदेशालय, कानपुर

डॉ० भीमराव अम्बेडकर की 128वीं जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं...
यतीन्द्र सोनकर
द्वारा – शिव शंकरलाल विषारद
स्मारक समिति, कर्नेलगंज, कानपुर

डॉ० भीमराव अम्बेडकर की 128वीं जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं...
सन्तलाल
प्रधान सहायक
श्रमायुक्त कार्यालय, कानपुर

बंगाल विभाजन क्यों और कैसे?

बंगाल विभाजन के पीछे बड़ा राज छुपा हुआ हैं, इस कारण ये मामला बहुत ही संगीन और पेचीदा भरा हैं, जब तक हम लोग बंगाल विभाजन का इतिहास नहीं जान पायेगे तब तक हम लोग शरणार्थी क्यों बने, हमारे सामने जो कठिन परिस्थिती आज निर्माण हुई है उसे हम तब तक नही समझ पायेगे, बंगाल के बंटवारे के कारण हम लोग अपनी लाखों निरपराध भाईयों को दंगों में मरते हुए देखा, मरने के बाद बदकिस्मत भाईयों को कफन तक नसीब नही हुआ। यहां तक की इस बंटवारे के कारण अपनी मातृभूमि भी खोदी। इस कारण बंगाल विभाजन के साथ कोई पहेली जुड़ी है। जब तक इस पहेली का आइडेन्टीफाय नहीं होगा तब तक बंगाल विभाजन को हम लोग नहीं समझ पायेंगे, जैसे

1) बंगाल का विभाजन किन लोगों ने किया और क्यों किया, इसके पीछे क्या षडयंत्र था?

2) जब हिन्दू और मुस्लिम के मॅजिरिटी के आधार पर देश का बटवारा हुआ तब क्यों दलित, हिन्दू क्षेत्र को पूर्व पाकिस्तान में जोड़ा गया?

3) आजादी के समय भारत के नेताओं ने पाकिस्तान के (बंगाली) मॉयनारिटी को क्या आश्वासन दिये थे।

4) बंटवारा के समय बंगाल प्रदेश में एक्सचेंज ऑफ पापुलेशन क्यों नहीं हुआ? एवं पूर्व बंगाल के शरणार्थीयों को पश्चिम बंगाल में पुनर्वास क्यों नहीं किया गया?

5) आजादी के बाद से लेकर अभी तक बंगाली शरणार्थी के साथ पश्चिम बंगाल सरकार, केन्द्रीय सरकार किस तरह भेदभाव और अन्याय करते रहे है?

1) बंगाल का विभाजन किन लोगों ने किया और क्यों किया, इसके पीछे क्या षडयंत्र था?

1946 तक आते आते ब्रिटिश भारत छोड़ने के कगार पर आ गया था, इसी समय मो. अली. जिन्हा के नेतृत्व में पश्चिम भारत में पाकिस्तान की मांग जोरों से पकड़ने लगी। पश्चिम भारत (सिंध और पंजब प्रांत) में हिन्दू मुस्लिम के बीच खून–खराबा और दंगा फंसाद चालू था, लेकिन उसी समय दलित हिन्दूओं और मुस्लिम की सहयोग से बंगाल प्रांत में सुचारू रूप से शासन व्यवस्था चल रही थी। बंगालके कट्टरवादी मुस्लिम और कांग्रेस और हिन्दू महासभा को लगा कि ब्रिटिश चले जाने के बाद में शासन व्यवस्था (ट्रांसफर ऑफ पावर) दलित और मुस्लमानों के हाथों मे होगी, इस परिस्थिती में हमारा क्या होगा? इस कारण ब्राम्हणवादियों ने कट्टरवाद मुस्लिम लीग को भड़काया। 16 अगस्त 1946 को कलकत्ता में मुस्लिम लीग ने डायरेक्ट ऐक्शन के तहत हिन्दुओं के ऊपर कारवाई किया। बदले के भावना से हिन्दुओं ने भी प्रतिशोध की भावना से कारवाई किया, फलस्वरूप कलकत्ता में दंगा हुआ। इसके प्रभाव पूर्व बंगाल के मूलनिवासी क्षेत्रों में हुआ, नोयाखाली जिल्हा के कट्टरवाद मुस्लिम लीगों के कॅडरों ने रातोरात दस हजार मूलनिवासी भाईयों को मौत के घाट उतार दिया। पूर्व बंगाल के दलित और मुसलमानों ने जो दोस्ती की मिसाल कायम किया दंगे के कारण हिन्दू और मुस्लिम के बीच में एक दरार उत्पन्न हुआ। एक दूसरे को अविश्वास के नजर से देखने लगे, एक हस्ती खेलती बगिया रातोरात श्मशान के ढेर में तब्दिल हो गया। पहले तो सत्ता से कोसो दूर ब्राम्हणवादियों ने हिन्दू और मुसलमानोंके बीच अविश्वास का माहौल बनाया, और इसी अविश्वास माहौल का फायदा उठाने के लिए पश्चिम बंगाल प्रदेश कांग्रेस एंव हिन्दू महासभा ने मिलकर बंगाल विभाजन के पक्ष में एक साक्षर अभियान चलाया , ये साक्षर अभियान करीबन महीना भर चलता रहा, साक्षर अभियान की कापी डॉ. बिधानचद्र रॉय एंव श्यामाप्रसाद मुखर्जी के देखभाल में राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जे. बी. कृपलानी के हाथों में पहुचाया। केन्द्रीय कांग्रेस कमेटी ने इस प्रस्ताव को बहुत जल्द ब्रिटिशों के हाथों में पहुंचाया, इसका मतलब ये हुआ बंगाल का शासन तंत्र उच्चवर्णिय के हाथों से निकल जाने से दलित नेतृत्व से डरते थे। उसी तरह केन्द्रीय कांग्रेस कमेटी नेताजी सुभाषचन्द्र बोस से भी डरती थी। स्वाभाविक ये दोनों मुद्दे राजनिती से प्रेरित थे।

15 मार्च 1947 श्यामाप्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व में कलकत्ता में उच्चवर्णिय जमींदार एवं उद्योगपतियों का संमेलन हुआ। उसी सभा में निर्णय लिया गया दलित हिन्दुओं और बर्बर मुसलमानोंके शासन के आधीन कभी भी शिक्षित लोग जमीनदार एवं उद्योगपति लोग नहीं रह सकते, ये हमारे आत्म सम्मान की बात हैं, जो हम कदापि स्वीकार नहीं करेंगे। श्यामाप्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व में हुगली जिल्हा के तारकेश्वर मे 4 अप्रैल 1947 को बंगाल पार्टीशन के नाम से एन. सी. चटर्जी के अध्यक्षता में तीन दिन का अधिवेशन हुआ। उसी सभा में श्यामाप्रसाद मुखर्जी ने कहा था, I can concieve of no other solution of the communal problem in Bengal than to divide the province and let the two major communities residing here live in peace and harmony. उसी सभा में तीसरे दिन के अंतिम भाषण में श्यामाप्रसाद मुखर्जी ने कहा था, It is a question of life and death for us, the Bengali Hindus .... We want our Homeland and we shall have it - let this be our motto. Now or never let this be our slogan.(हिन्दुओं के लिए ये जीने मरने की बात हैं हिन्दुओं की रक्षा के लिए हम एक हिन्दू होमलैंड की मांग करते हैं,) बात केवल ऐसी दो मीटिंग की नही थी, कांग्रेस और हिन्दू महासभा के नेतृत्व में बंगाल विभाजन के पक्ष में 76 मिटिंगों का आयोजन हुआ, जिसमें सेकुलर का ढोल पीटने वाले कांग्रेस ने 56 अधिवेशन का आयोजन किया था, श्यामाप्रयाद के पर्सनल डायरी में लिखा है बंगाल विभाजन के लिए अगर खून से भी गुजरना पडे वह हम करेगें, मुस्लिम ने डायरेक्ट एक्शन के तहत जो दंगा किया था इससे इस बात की पुष्टि भी होती हैं, और एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं प्रधानमंत्री ऐटनी ने 20 फरवरी 1947 भारत को दो प्रदेशों में (Dominion State) में विभक्त करने का प्रस्ताव रखा, भारतीय कांग्रेस, मुस्लिम लीग सिखों ने इसका समर्थन किया, फिर 4 अप्रैल 1947 को कलकत्ता के सिन्ही पार्क में बंगाल विभाजन का प्रस्ताव पारित किया और तर्क रखे कि मुस्लिम लीग ने जो बंगाल विभाजन की मांग कर रहे हैं स्वागत योग्य हैं, क्योंकि हिन्दू मुसलमान कभी भी साथ साथ मिल कर नहीं रह सकते, उनका धर्म और हमारे धर्म अलग अलग हैं तथा कभी मेंल नहीं हो सकता और वे लोग दंगाफसाद वाले हैं, आखिर 20 मई 1947 को बंगाल विधानसभा में बंगाल विभाजन का प्रस्ताव पारित किया, यह खबर मिलते ही तत्कालीन अखंण्ड भारत के कानून मंत्री जोगेन्द्रनाथ मण्डल ने दिल्ली के अपने आवास में पत्र परिषद को संबोधित करते हुये बंगाल विभाजन का जोरदार विरोध किया।

इतिहास का अध्ययन करने से पता चलता है कि मुसलमानों ने भारत पर 750 साल राज किया लेकिन उनकी आबादी कितनी थी, उनकी आबादी का प्रतिशत बहुत ही कम था, इस स्थिति में कारोबार कौन संभालते थे? ये ब्राम्हणवादी लोग ही उनका राजपाठ संभालते थे। भारत में मुस्लिम राज लाने के लिए ब्राम्हणवादीयों का ही योगदान हैं, यहां तक की उन्होंने अपनी बेटियां देकर मुसलमानों के साथ मित्रता कायम किया, इससे ये प्रमाणित होता हैं कि ये स्वार्थ की खातिर कुछ भी कर सकते हैं जो ब्राम्हणवादी 750 सालों तक मुस्लिमों के राजपाट संभालता रहा उन्हीं ब्राम्हणवादी ने 1947 आने तक सत्ता हाथों में ना होने के कारण कहा कि मुसलमान दंगाबाज हैं, ये बात कहा तक जायज हैं, ये बात पहले क्यों नहीं याद आयी।

ब्रिटिशों के गर्वनर लार्ड कर्जन 1605 में अपनी शासन व्यवस्था को मजबूत करने के लिए बंगाल विभाजन का प्रस्ताव रखा, तब बंगाल की कांग्रेस कमेटी और हिन्दू महासभा ने इसका जोरदार विरोध किया, ब्राम्हणवादियों ने कहा कि बंगाल भाषा के दो टुकड़ों में बांटना था, याने अपने मां के दो टुकड़ों में बांटना जैसा हैं, **चाहे जान चली जाय मगर हम ये कदापि होने नहीं देंगे।** तब दलितों ने भी इस आंदोलन को समर्थन किया, इस कारण बंगाल विभाजन नहीं हुआ जो लोग 1905 में बंगाल का विभाजन के विरोध मे जान देने की बात करते थे वे ही लोग 1947 आते–आते बंगाल विभाजन के समर्थन मे जान देने की बात करने लगे। इसकता मतलब ये हुआ कि 1905 में ब्रिटिश के हाथ के नीचे ब्राम्हण लोग काम करते थे एवं पूर्व बंगाल मे इन लोगों के जमीनदारी थी, सत्ता थी, सत्ता और जमीनदारी छिन जाने के डर से इसके खिलाफ में ब्राम्हणवादियों ने ये आंदोलन किया, लेकिन 1937 से लेकर 1947 आने तक महाप्राण जोग्रेन्द्रनाथ मंडल, मुंकुद बिहारी के नेतृत्व में एवं मुस्लिमों के सहयोग से बंगाल प्रांत का शासनतंत्र दलितों के हाथों में ले लिया था, तब ब्राम्हण वादियों को शासनतंत्र के केवल 12% हिस्सेदारी बची रही। इस कारण शैतानों ने बंगाल विभाजन का इतना बड़ा घृणित अपराध किया और बंगाल प्रांत में राजनीतिक स्वार्थ की खातिर बंगला मां के दो टुकडों में बटवारा कर दिया, लेकिन तत्कालिन अखंण्ड भारत कें कानून मंत्री महाप्राण जोगेन्द्रनाथ मंडल एवं अन्य दलित नेता आखिरी क्षण तक लड़ते रहे एंव विभाजन के खिलाफ सैकड़ों मीटिंग किये, दंगा और अविश्वास के कारण उनका यह प्रयास असफल रहा, दुख की बात ये है जो बंगाल विभाजन के खिलाफ आखिरी क्षण तक लड़ते रहे लेकिन मीडिया और पैसे की ताकत पर उनके नाम पर विभाजन का कलंक लगा दिया।

बंगाल विभाजन के पक्ष में जिन लोगों ने आंदोलन चलाया उनके नाम निम्न हैं :–

हिन्दू महासभा का श्यामाप्रसाद मुखर्जी, कांग्रेस का सुरेन्द्र मोहन घोष, डॉ. बिधानचंद्र रॉय, किरन शंकर रॉय, फॉरवर्ल्ड ब्लॉक का ए. सी. चटर्जी, चित्त बसु, कम्युनिष्ट पार्टी का ज्योति बसु, रतनलाल, रूपनारायण, नलिनी सरकार, हिन्दूस्तान स्टैण्डर्ड, आंनद बाजार पत्रिका का सुरेशचंद्र मजुमदार, अमृतबाजार पत्रिका के तुषारकान्त घोष, इतिहासकार रघुनाथ सरकार, रमेशचंद्र मजुमदार, माखनलाल चौधरी, सुनिती चट्टोपाध्याय, सुकुमार सेन, आदि लोग थे।

जो लोग जोगेन्द्रनाथ मंडल तथा अन्य दलित नेता का बंगाल विभाजन के खिलाफ लाख कोशिश करने के बावजूद 2 जून 1947 दिल्ली के बाईसराय भवन में मांऊट बेटेन के साथ एक ऐतिहासिक बैठक में सात प्रमुख राजनैतिक नेताओं ने भारत विभाजन का फैसला लिया, उसमें कांग्रेस के जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, जे. बी. कृपलानी, मुस्लिम लीग की ओर से मो. अली जिन्ना, लियाकत अली खान, अब्दुल निस्तार एवं सिखों की ओर से बलवंत सिंह थे। विचार–विमर्श करने के बाद जिन मूल निवासी क्षेत्र को पू. पाकिस्तान में विलय किया उस क्षेत्र के एक भी जनप्रतिनिधियों इस महत्वपूर्ण काले फैसले के समय नही बुलाया, जब शेडुल्डकास्ट फेडरेशन तथा अन्य दलित नेताओं के कोशिश के बाद भी बंगाल का बंटवारा नही रूका तो बाबासाहेब डॉ. अंबेडकर पूर्व बंगाल के लोगों के लिए दुःखी थे, तब पूर्व पाकिस्तान के संवैधानिक अधिकार हासिल करने के मकसद से जोगेन्द्र मंडल और बाबा साहब के नेतृत्व में 8 जून 1947 को बंगाल के मंत्री द्वारीकानाथ बारोई, नगेन्द्रनाथ रॉय, क्षत्रिय समिती का सभापति, श्यामाप्रसाद बर्मन,

पार्लियामेन्टरी सेक्रेटरी भोलानाथ विस्वास, तपोसिली फेडरेशन का संपादक कामीनिप्रसन्न मजुमदार, जागरण पत्रिका का संपादक शशिभूषण, हालधर, एम. एल. ले. अमृतलाल मंडल, तपोसिली क्षेत्रिय फेडरेशन का संपादक संतोष मल्लिक मो. अली जिन्ना के साथ भेट की, एवं तपोसिली लोगों के अधिकार के लिए चर्चा किया, तत्पश्चात जिन्होंने प्रतिनिधी मंडलों को निम्नलिखित संविधान में सैफगार्ड देने का स्वीकार किया, जो वादा किया वह निम्न रूप से है :–

1) तपोसिली समाज को पाकिस्तान सरकार की राजनैतिक, शैक्षणिक हर प्रकार के अधिकार मिलेंगें ।

2) तपोसिली लोगों की सर्वांगिन उन्नति के लिए शासनतंत्र मे रक्षा का कानूनी प्रावधान होगा।

3) तपोसिली लोगों का सेपरेट इलेक्शन के माध्यम से राजनैतिक अधिकार मिलेंगे।

4) अल्पसंख्याक लोगों के प्रति न्याय एवं सुविचार मिलेंगे।

भारत सरकार के नेताओं ने आश्वासन दिये थे, उनका भारत सरकार ने निर्वाहन नहीं किया, उसी तरह पाकिस्तान (बंग्लादेश) सरकार मुसलमान देश घोषित पर उन लोगों की हर प्रकार से संवैधानिक अधिकार खत्म कर दिया, इस कारण बांग्लादेश मेंहर दिन वहां के मूलनिवासीयों पर अन्याय अत्याचार होता रहता हैं, क्योंकि बांग्लादेश में मूलनिवासी रहते हैं इसलिए भारत सरकार इसके खिलाफ ना आवाज उठाता, न प्रतिवाद करता, जो एस. सी., एस. टी., मायनारिटी लोग बांग्लादेश में रहे वे कट्टरवाद से त्रस्त है। जो अत्याचारों के कारण शरणार्थी बन कर भारत चले आये वे भारत के भी मनुवाद से प्रताड़ित हो रहे है। अखिर इन लोगों का अपराध क्या? पश्चिम पाकिस्तान से आये शरणार्थी में से लगातार दो लोग प्रधानमंत्री बनकर राज कर रहे हैं तो दूसरी ओर पूर्व पाकिस्तान से बंगाली शरणार्थी आये। उन लोगों का इनलिगल माईग्रेन्ट, दंगाबाज बोलकर लोगों के मन में उनके प्रति घृणा उत्पन्न कर रहे हैं ।

2) पूर्व बंगाल के हिन्दू बहुल मूलनिवासी (जस्सौर, खुलना, बरीसाल, फरीदपुर) क्षेत्रों को ब्राम्हणवादियों ने पूर्व पाकिस्तान में क्यों मिलाया ?

हिन्दू धर्म के दलालों के अत्याचार के खिलाफ गुरूनानक ने सिख धर्म की स्थापना की, महावी ने जैन धर्म की स्थापना की, उसी तरह बंगाल के मूलनिवासी लोग कैदी की तरह रह रहे थे। उन मूलनिवासियों को धार्मिक आजादी के लिये आदरतिर्थ हरिचंद्र ठाकुर ने हिन्दू धर्म के खिलाफ कुठाराघात करते हुए 1850 के दरमियान मतुआ धर्म की स्थापना की, जमीदार के खिलाफ आंदोलन किया, आदरतिर्थ हरिचंद्र ठाकुर के सुपुत्र कर्मयोगी गुरूचंद्र ठाकुर ने उसी आंदोलन को आगे बढाते हुए शिक्षा आंदोलन किया, सरकारी आकड़ों के अनुसार करीबन 1066 स्कूल एवं प्रायमरी स्कूल स्थापित किये, कर्मयोगी गुरूचंद ठाकुर के नेतृत्व मे जमीनदारों के खिलाफ कृषकों का आंदोलन किया, राजनीतिक लढाई लड़े ठाकुर के शिक्षा आंदोलन से सैकड़ों डाक्टर, बैरिस्टर, इजीनियर बने ठाकुर के आदर्श से प्रेरित जोगेन्द्रनाथ मंडल, रसिकलाल विस्वास, मुकुंद मलिक, भिष्मदेव दास, बीरेन्द्रनाथ विस्वास जैसे नेता बने जब बाबा साहेब डॉ. अम्बेडकर के नेतृत्व मे महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन की जमीन तैयार की जा रही थी। उसी समय बंगाल के सपूतों ने राजनीतिक अधिकार हासिल कर चुके थे। इसी से पता चलता है कि जब 1646 में पूरे भारत के मूलनिवासियों ने बाबासाहब को नकारा उसी समय बंगाल के सपूतों ने बाबासाहब जैसे हिरे को संसद में पहुंचाया। यह दलितों के लिए आत्मसम्मान की बात हैं, अगर बाबासाहब डॉ. अम्बेडकर संसद में नही पहुंच पाते तो हम लोगआज इस तरह सूट बूट मे नहीं होता बल्कि जंगली जानवर की तरह पडे रहते। बंगाल की उसी पुण्य भूमि से आदतिर्थ हिरचांद ठाकुर,कर्मयोगी गुरूचांद ठाकुर, ठाकुर पंचानंद वर्मन ने जो क्रांति की मशाल जलायी थी, उसी कारवां को बाबासाहब और जोगेन्द्रनाथ मंडल ने मिलकर आगे बढ़ाया। जोगेन्द्रनाथ मंडल और बाबासाहब के कारवाँ को रोकने के लिए उसी पूण्य भूमि को पूर्व पाकिस्तान में जोड़ दिया, आज यहां पर जो लड़ाई लडने की बात कही जा रही हैं अगर उसी भूमि को भारत के साथ जो जोड़ दिया जाता तो हम लोगों को आज ये मशक्कत नहीं करनी पड़ती। हम लोग भी शरणार्थी नहीं बनते, तो कब का दिल्ली का ताज फतेह कर लिया होता।

3) आजादी के समय भारत के विभन्न नेताओं ने बांग्लादेशीय मॉयनारिटी को क्या आश्वासन दिये थे।

देश बंटवारा होने के कारण पाकिस्तान (पूर्व) में जो मॉयनारिटी (हिन्दू) रह गये थे, जो भारत नहीं आ सके उन्हीं भाईयों के लिये भारतीय नेताओं ने जो आश्वासन दिये थे वो निम्न रूप से हैं:–

महात्मा गांधी

हिन्दुओं और सिख जो लोग पाकिस्तान से भारत में आने में असमर्थ रहे, कोई भी परिस्थिति में वे भारत चले आये, तो भारत सरकार की उसी स्थिति में, उसी समय में भारत सरकार की जिम्मेदारी होगी उन भाईयों को नौकरी में लगाना, उनको हंसी खुशी से जीवन निर्वाह के साधन निर्माण करना। (From the collected work of Mahatma Gandhi, Vol.89, Page No. 246, The Publication Division, Govt. Of India)

जवाहरलाल नेहरू

भारत के विभाजन से उत्पन्न हुई सीमा रेखा जो भाईयों को हम लोगों से अलग किया बदकिस्मती से उनको आजादी के फायदे नहीं मिल सके, आजादी की खुशियां नसीब नही हुई हम लोग उन्ही भाई–बहनों को स्मरण करते, जो भी घटना घटी मगर वे लोग हमारे थें और हमारे ही रहेंगे, हम लोग बिछड़े हुए भाई बहनों दुःख में हमेशा साथ देते रहेंगे, साथ ही इन्हीं भाई बहनों को पुर्नवास के लिए हमें गंभीरता से कदम उठाने होगे, अगर ये लोग इसी प्रतिकूल हालत में पडे रहे तो भारत के उन्नति एवं प्रगति के लिए बाधक होगे। (From Independence And after (1949) Page No.)

डॉ. राजेन्द्र प्रसाद

जो लोग मार्तभूमी छीन जाने से आर्थिक, मानसिक तकलीफों से जूझ रहा हैं, उन भाई बहनों के पुनर्वास के लिए प्रतिक्षा कर रहाव हैं,

(5 Speeches of Rajendra Prasad Vol. No.2)

सरदार पटेल

जो भाईयों के साथ अपने खून का रिश्ता, जिन भाईयों के साथ हम लोगों ने आजादी के लड़ाई में हिस्सा लिया, भले ही परिस्थिती के कारण वे लोग भारत की सीमारेखा के उस पार रहते है तो भी वे लोग एकाएक विदेशी नहीं बन सकते, भारतीय वंशज दक्षिण अफ्रिका की सीटीझेनशीप मिलने के बाद भी हम लोग हर प्रकार से उनकी मदद करते है अगर वो लोग हमसे हक रख सकते है तो पर्व पाकिस्तान की हिन्दू अधिकार की मांग भी कर सकते हैं। (Speeches of Sardar Patel Page No. 121)

15 नवंबर की ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के मिटिंग का सिद्धांत

देश बंटवारे के बाद जो मॉयनारिटी हिन्दू अभी तक भारत नही आ पाये उन्ही मॉयनारिटी भाईयों को पाकिस्तान रहने के लिये उत्साहित करना चाहिए। लेकिन जब भी वे लोग भारत चले आये उसी स्थिति उनकी मदद करने के लिए भारत सरकार ने हर प्रकार की तैयारी रखनी चाहिए। उन लोगों को किसी भी जगह पर अनुप्रवेशकारी ना समझा जाये। उन लोगों को किसी की करूणा के पात्र नहीं समझना चाहिये। शरणार्थी लोग बाकि भारतीय लोगों की तरह अधिकार, आत्म सम्मान एवं जिम्मेदारी के साथ रहेंगे। (From the collected works of Mahatma Gandhi Vol. No. 90 Page No. 539)

4) बंगाल विभाजन के समय लोगों एवं जमीन का विनियम क्यों नहीं किया गया?

सन् 1947 को हिन्दू और मुसलमान के आधार पर देश का बंटवारा हुआ। इसी कारण पश्चिम पाकिस्तान में 60 लोाख शरणार्थीयों तथा जमीन का हस्तांतरण हुआ। उसी तरह जोगेन्द्रनाथ मंडल ने बंगाल में भी पूरे मूलनिवासी शरणार्थीयों के हस्तांरण की मांग रखी मगर उनकी बात नही मानी गई, ना ही कोई बात सुनी गई, और मौखिक आश्वासन के तौर पर गांधी और नेहरू ने कहा कि वे लोग जब भी भारत आयेगे तब उन लोगों की जिम्मेदारी लेने के लिए भारत सरकार वचनबद्ध रहेगा, वास्तविकता ये है कि अगर पश्चिम बंगाल के बंगाली मुसलमान पूर्व पाकिस्तान में चले जाते और पूर्व पाकिस्तानके बंगाली मूलनिवासी शरणार्थी पश्चिम बंगाल में चले आते, इस स्थिती में पश्चिम बंगाल में 53 प्रतिशत दलितों का बहुमत होता एवं पश्चिम बंगाल में चीफ मिनिस्टर ज्योति बसु नही बल्कि जोगेन्द्रनाथ मंडल या कोई और मूलनिवासी होता, केवल दलितों को सत्ता से दूर रखने के लिए प. बंगाल में शरणार्थीयों का पुर्नवास नहीं किया, आजादी के बाद से लेकर अभी तक पश्चिम बंगाल सरकार और केन्द्रीय सरकार इस तरह का भेदभाव और अन्याय, अत्याचार करते रहे हैं, भारत का बंटवारा होने के बाद जब पूर्व बंगाल के मूलनिवासीयों का भारत में सही सेटलमेन्ट नहीं हुआ इस कारण ये मॉयनारिटी भारत नही आ सके। आज भी दो करोड़ दलित हिन्दू, बुद्धिस्ट लोग बांग्लादेश में कैदी के समान रह रहे है।

पूर्व बंगाल के मॉयनारिटी मूलनिवासी 1646 से लेकर वर्तमान समय तक कितने बार दंगे झेलते आये वे निम्नरूप से है:–

1) 1946 (एवं 1947) का नौयाखाली दंगा।

2) 1948 में हैदरराबाद के निजाम के खिलाफ भारतीय सेना की कार्यवाही से पूर्वी पाकिस्तान में दंगा हुआ तो इस दंगे में प्रभावित लोग भारत आने लगे थे, फिर

3) 1950 में खुलना में दंगा हुआ परिणाम स्वरूप वहां के मूलनिवासी भारत में आने को मजबूर हुये, दंगा रोकने के लिए 8 अप्रैल 1950 को नेहरू–लियाकत अली अनुबंध हुआ था, वह केवल कागजी दस्तावेज बना, उससे दंगा नही थमा।

4) फिर 1951 में पाकिस्तान ने काश्मीर पर आक्रमण करने से पूर्व बंगाल में दंगा हुआ। फिर लाखों लोग भारत चले आये, फिर 1955 को पूर्व बंगाल में उर्दु भाषा को सरकारी भाषा घोषित किया। इस कारण पाकिस्तान सरकार की फौजने हिन्दूओं पर गोलियां बरसायी जिसमें हजारों लोग मर गये।

5) 1964 में कश्मीर के पैगंबर मो. का बाल चोरी होने जाने से इस कारण पू. बंगाल के दलित हिन्दूओं पर कट्टरवादी मुसलमानों ने अत्याचार किया और लाखों लोग जान बचा कर इधर उधर भाग गये।

6) 1971 में जब बंग्लादेश की आजादी की लड़ाई हुई।

7) 1978 / 1979 में पश्चिम बंगाल सी. पी. एम. सरकार ने हिटलरशाही तरीके से मरीचझापी द्वीप में बंगाली शरणार्थीयों की र्निमम हत्यायें की।

8) बाबरी मस्जिद विध्वंस एंव गोधरा हत्याकांड का असर बंगाल के शरणार्थीयों पर हुआ।

9) बांग्लादेश में 2001 में सेंटीमेन्ट के आधार पर चुनाव हुए और चुनाव जीतने के बाद खालिदा सरकार (बी. एन. पी.) के इशारे पर वहां के कट्टरपंथियों मुस्लिमों ने मूलनिवासी मॉयनारिटी के हर तीन में से एक बहन पर सरेआम बलात्कार किया। शायद ही दुनिया में कही इतनी बर्बरता हुई हो ।

इन दंगों में पूर्व बंगाल के मूलनिवासी मॉयनारिटीयों ने अपने घरों को जलते, उजड़ते हुए देखा, अपने आंखों के सामने अपने मां बहनों की इज्जत लुटते हुए देखा, अपने निरपराध भाईयों का कत्ल होते हुए देखा, एक के बाद एक दंगे होने से इसका प्रभाव पू. बंगाल के मूलनिवासियों पर हुआ। इससे वे अपना वतन छोड़कर दरबदर होकर हमेशा के लिए प. बंगाल आये, तो इन लोगों ने मांग किया बंगाल के शरणार्थीयों को बंगाल में ही सेटल किया जाये। लाखों हेक्टर पड़ी जमीन रहने के बावजूद भी प. बंगाल सरकार ने इन लोगों को सेटलमेन्ट करने से इन्कार किया। तब शरणार्थीयों ने बंगाल छोड़ने

से इंकार किया तो प. बंगाल सरकार शरणार्थीयों का राशनपानी देना बंद किया गया। भूखे–प्यासे लोग बंगाल छोड़ने के लिए मजबूर हुये, इन लोगों के पुर्नवास के नाम से उड़ीसा के कालाहांडी, अंदमान निकोबार, महाराष्ट्र के गडचिरोली, आसाम में निव्रसित किया गया। आधे लोग भूख और बीमारी से मर गये तथा कई लोगों को जानवरों ने खा गये। कई लोग पूर्व पाकिस्तान (बंग्लादेश) वापस जाने के लिये मजबूर हुये।

जरा सी प्राकृतिक विपदा आने से समाज टूट जाता है। बिखर जाता हैं, हमारे साथ सन् 1948, 1950, 1951, 1963, 1971 में एक के बाद एक लगातार दंगे हुये अगर एक एक दंगे में 25000 हजार लोग भी मारे गये तो आज से पचास साल पहले हमारे लाखों भाई दंगों के शिकार होकर मर गये। उदारहण के लिये गुजरातके दंगे को मान लिया जाए तो केवल एक दंगे में ही वहां के हजारों मॉयनारिटी लोग मौत के मुंह में समा गये। गुजरात का मॉयनारिटी समाज पूरी तरह से दंगे के कारण तहस–नहस हो गया। इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि, जब एक दंगे में इतनी भयानक परिस्थिती निर्माण हुई तो बांग्लादेश में अलग–अलग समय में हुए दंगों में मूलनिवासियों पर क्या गुजरी होगी।

राजनीतिक दलों का घृणित चरित्र

1947 से लेकर 1977 तक प. बंगाल में काग्रेस का शासन रहा। कांग्रेस सरकार ने शरणार्थीयों को प. बंगाल से बाहर के प्रदेशों में भगाया। तब कम्युनिष्ट दलों ने इसका जोरदार विरोध किया, जेल गये, हडताल किया एवं कम्युनिस्टों ने कहा कि अगर हमारा दल प. बंगाल में चुनकर आया तो प. बंगाल में शरणार्थीयों का पुर्नवास करेंगे। शरणार्थी लोगों ने भी कम्युनिस्टों का जोरदार साथ दिया। 1977 को प. बंगाल में कम्युनिस्ट सरकार बनी, कम्युनिस्टों का राज आया, तों वामपंथी के दो नेता अशोक घोष और राष्ट्रमंत्री राम चटर्जी ज्योतिबसु के साथ चर्चा कर उड़ीसा शरणार्थी कैम्प में गया वहां जाकर सी. पी. आई. एम. के पक्ष में यू. सी. आर. सी. नाम से एक उदवस्थ संगठन बनाने का प्रस्ताव किया लेकिन सब ने इसका इंकार किया।

जब 1978 के मई में लाखों शरणार्थी उड़ीसा से पश्चिम बंगाल की ओर रवाना हुये, वर्धमान के पास सीपीएम के सरकारी पुलिस वालों ने जबरदस्ती से उन्हें ट्रेन से उतारा और उड़ीसा जाने के लिए कहा शरणार्थीयों ने उड़ीसा जाने के लिए कहा, शरणार्थीयों ने उड़ीसा जाने से इंकार किया तो उनपर लाठीया चलाई गयी, गोलियां चलायी गई जिसमें कई शरणार्थी मर गये, पुलिस के लाठीचार्ज और गोलाबारी के बाद भी करीबन 30 हजार शरणार्थी पश्चिम बंगाल के सुंदरवन के पास एक छोटे से निर्जन टापू मरीचझापी में पहुंचे। वहां अपने खून पसीने से सरकार की मदद के बिना सुंदर आवास बनाये। जहां पर दलदल और जंगल ही जंगल थे उसी जमीन को सुंदर हरे भरे खेतों में परिवर्तित किया, लेकिन कम्युनिष्टों को ये बात हजम नहीं हुई और 6 सितम्बर 1978 को ज्योतिबसुकी कम्युनिस्ट सरकार की पुलिस और कॅडरो ने कुल 40 बोट लेकर द्वीप पर हमला किया। 30 हजार लोगों के घरों को रातोंरात जला दिया। ट्यूबवेल उखाड़ दिये जब शरणार्थीयों ने मरीचझापी द्वीप छोड़ने से इंकार किया तो बचे महिला और आदमियों को अलग–अलग बोंटो में भरकर प. बंगाल लाया गया। वहां पर 7 दिन तक उन्हें बंदी बनाकर रखा गया। महिलाओं के साथ पुलिस और केंडरों ने बहुत अताताई तरीकों से बलात्कार किया। उनका राशन पानी बंद कर दिया गया। कोर्ट ने आर्डर दिया शरणार्थीयों को राशन पानी मुहैया किया जाय। मदर टेरेसा संस्था, लुथिरीया चर्च, भारत सेवा आश्रम को कोर्टका आर्डर होने के बावजूद भी राशन पानी और बचें के लिए दूध वितरित करने नहीं दिया। हिटलरशाही राज के कारण हसनाबाद स्टेशन में देह हजार शिशु और वृद्धाओं ने दूध दवा की कमी से अकाल मृत हुये, यह था वामपंथ सरकार का घृणित चरित्र, (संदर्भ : मरीचझापीर अंनतराले, लेखक–जगदीश मंडल)

सेवा में,

नाम .....

पता .....

.....

.....

साभार
समानता के संघर्ष में
बंगाल के महापुरूषों का योगदान
(पृष्ठ सं० 84 से 93 तक)
डॉ. सुबोध विश्वास

फालतू चीजें छोड़ें- प्रायमिकता तय करें

''हम इसे चाहते हैं। हमें इसकी जरूरत है। हमें यह बेशकीमती चीज चाहिए ही चाहिए।''

गॉलम प्राथमिकता का महत्व जानता था। वह जानता था कि वह क्या चाहता था – सबसे बढ़कर यही समर्पित व्यक्ति की पहचान है।

मैं एक मैनेजर के लिए काम करता था, जो अक्सर पूछते रहते थे कि हम किसके लिए काम करते हैं। अगर हम कहते थे, खुद के लिए, तो वे इंकार में सिर हिला देते थे। अगर हम कहते थे उनके लिए, तब भी वे इंकार में सिर हिला देते थे। अगर हम कहते थे डायरेक्टर्स के लिए, तब भी वे इंकार में सिर हिला देते थे। और सिलसिला इसी तरह चलता रहता था। उनके अनुसार इकलौता जवाब था, शेयरहोल्डर्स के लिए। उनका कहना था कि इकलौता कारण जिसके लिए हम काम करते थे, वह है कंपनी का मुनाफा। बाकी हर चीज सतही। सही बात है। हम सभी शेयरहोल्डर्स के लिए काम करते हैं–चाहे वे जो भी हों। अगर आप कंपनी के पूरे मालिक हैं, तो यह आप खुद हो सकते हैं। अगर वह परिवार के स्वामित्व की कंपनी हो, जो शेयर बाजार में सूचीबद्ध नहीं है, तो यह डायरेक्टर्स हो सकते हैं। वरना ये लाखों–करोड़ों शेयरहोल्डर्स हो सकते हैं, जिन्होंने उस कंपनी में निवेश किया है।

तो फालतू चीजें छोड़ें। चाहे कोई कुछ भी कहता रहे, बिजनेस करने का इकलौता लक्ष्य है, मुनाफा। पैसा कमाना। अगर आप मुनाफे के लक्ष्य पूरे कर रहे हैं, तो अच्छी बात है। अगर नहीं कर रहे हैं, तो बोरिया–बिस्तर बाँध लें। आसान है। अब आपके पास अपने हर काम के मूल्यांकन का एक साफ–सुथरा पैमाना है। पूछे, 'जो भी मैं कर रहा हूँ, क्या उससे मुनाफा बढ़ता है?' अगर बढ़ता है, तो उसे करते रहें। अगर नहीं बढ़ता है, तो उसे निकाल बाहर करें।

सब कुछ कहने और सुनने के बाद हकीकत यही है। पैसा नहीं, तो बिजनेस नहीं। बिजनेस नहीं, तो नौकरी नहीं। नौकरी नहीं, तो हाउस लोन, कार लोन, बेहतरीन डिनर, शानदार पर्यटन स्थल पर छुट्टियों का मजा नहीं।

मैं शर्त लगाता हूँ कि अगर आप बैठकर अपने हर काम पर गौर करें, तो आप पाएँगे कि इसका ज्यादातर हिस्सा फालतू है। प्राथमिकता के क्रम में समय तय करें। फालतू चीजें छोड़ें और खुद को एक चीज और सिर्फ एक चीज के प्रति समर्पित कर दें – लाभ। और यही आप जैसे निपुण मैनेजर को बाकी मैनेजरों से अलग करता है। स्पष्ट एकाग्रता, भविष्य–दृष्टि, समर्पण। गॉलम, आगे बढ़ो, अपना पुरस्कार जीत लो।

साभार :
मैनेजमेंट के नियम
(पृष्ठ सं० 120 से 121 तक)
रिचर्ड टेंपलर

द्रविड़ भारत एवं आम औरत महासभा ट्रस्ट की ओर से
द्रविड भारत सामाजिक जागरूकता अभियान से जुड़े सभी सदस्यों, पाठकों एवं सहयोगियों को डॉ0 भीमराव अम्बेडकर की 128वीं जयंती की हार्दिक शुभकामनायें

संपादक - उमेश्वरी देवी मो. : 9005204074

डॉ0 भीमराव अम्बेडकर की 128वीं जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं...
सरौभ गौतम
अधिशाषी अभियन्ता
विद्युत विभाग, कानपुर

डॉ0 भीमराव अम्बेडकर की 128वीं जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं...
प्रमोद कुमार
सचिव, मिनिस्टीरियल एसोसिएशन
ऑफ सर्किल ऑफिसेज, सिंचाई विभाग, कानपुर

डॉ0 भीमराव अम्बेडकर की 128वीं जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं...
रामनरेश
जनरल सेकेट्ररी, एस.सी./एस.टी. एसोसिएशन
आयकर विभाग, कानपुर

डॉ0 भीमराव अम्बेडकर की 128वीं जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं...
सुरेशचन्द्र
मो.: 9076743182
डिपो मैनेजर ग्रेड–2
उ0 प्र0 राज्य हथकरघा निगम, कानपुर